मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित,
खेल परिसर, इंदिरा निकुंज, 74 बंगले, भोपाल – 462003
दूरभाष– 2674349, 2760585 फैक्स – 2552628
e-mail : mdmfpfed@sancharnet.in
www.mfpfederation.com

अधिसूचना कमांक ते.प.(2012)– I दिनांक 28–10–2011

मध्यप्रदेश में वर्ष 2012 तेंदूपत्ता सीजन में संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ते के अग्रिम विकय हेतु निविदा सूचना

प्राक्कथन

चूंकि मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल (जिसे इसके पश्चात् संघ कहा गया है) द्वारा राज्य शासन के आदेशानुसार शासकीय भूमियों, वनों तथा निजी भूमियों से विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा लाये गये तेंदूपत्ते को विभिन्न संग्रहण केन्द्रों (फड़ों) पर संग्रहित किया जाना है ।

अतएव अब संघ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से उक्त तेंदूपत्ते के कय के लिए इच्छुक व्यक्तियों/पंजीकृत फर्मों / विधिक कंपनियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है ।

2. **परिभाषायें, निविदा के निबंधन एवं शर्तें निविदाकार के लिए निर्देश –**

परिशिष्ट–I (निबंधन एवं शर्तें)

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो परिशिष्ट– I में सम्मिलित "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी । ये "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश" इस निविदा सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं ।

3. **लाट लिस्ट एवं करार अवधि –**

अनुसूची (तेंदूपत्ता की लाट सूची)

इस सूचना के साथ संलग्न समितियां अनुसूची **(अ)** एवं फड़वार अनुसूची **(ब)** में दर्शित विभिन्न समितियों द्वारा संग्रहित/कय किये जाने वाले तेंदूपत्ते के लाटों के कय के लिये **दिनांक 31.03.2013** को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती है ।

4. **निविदा पत्र आदि –**

परिशिष्ट–II (निविदा पत्र)
परिशिष्ट–III (निविदाकार का करारनामा)

(I) निविदाकार को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–II) में ही अपनी निविदा परिशिष्ट–III में दिये गये प्रपत्र में निविदाकार के करारनामा के साथ प्रस्तुत करना होगी । निविदा पत्र तथा निविदाकार का करारनामा प्रबंध संचालक, संघ एवं समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक संघ, म.प्र. के कार्यालयों से 500/– रुपये का, किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट, जो कि प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ के पक्ष में संघ मुख्यालय या सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक के मुख्यालय पर देय हो, के माध्यम से भुगतान कर दिनांक **15.11.2011** से किसी भी कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं ।

(I)(अ) निविदा पत्र तथा निविदाकार का करारनामा संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट से भी प्राप्त किये जा सकते हैं । उपरोक्त रीति द्वारा प्राप्त

निविदा पत्र (जिसे इसके बाद डाउनलोडेड निविदा कहा गया है) प्रस्तुत करते समय उसके साथ रुपये 500/– का, किसी भी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट, जो कि प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ के पक्ष में संघ मुख्यालय या सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक के मुख्यालय पर देय हो, संलग्न करना होगा । संघ की वेबसाइट से निविदा पत्र डाउनलोड कर प्राप्त करने के कार्य को उक्त वेबसाइट पर इस हेतु प्रदर्शित शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा ।

(II) निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा पत्र के साथ निविदाकार का करारनामा प्राप्त कर लिया है क्योंकि निविदा के साथ सम्यक् रुप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा संलग्न करना अनिवार्य है तथा वह उसके द्वारा प्राप्त किये गये समस्त अभिलेखों के लिए रसीद देगा । आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है ।

5. **निविदाओं का प्रस्तुतिकरण –**

(I) उन सभी निविदाकारों को, जिन्हें स्थाई निविदाकार क्रमांक (पी.टी.एन.) म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ या छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा आवंटित किया गया है एवं इस स्थाई निविदाकार क्रमांक की सूचना उनको क्रेता नियुक्ति आदेश/सत्यंकार राशि वापसी पत्र के द्वारा दी गई थी, आवंटित स्थाई निविदाकार क्रमांक निविदा पत्र के प्रथम पृष्ठ पर उपरी दांये कोने में अंकित करना होगा । जिन निविदाकारों को स्थाई निविदाकार क्रमांक (पी.टी.एन.) आवंटित नहीं हुआ है, उनको स्थाई निविदाकार क्रमांक अंकित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(II) सभी दृष्टियों से पूर्ण निविदा एक मुहरबंद लिफाफे में, जिस पर निम्न विवरण एवं पता लिखा होगा, रखी जावेंगी :–

वर्ष 2012 में संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ता के अग्रिम क्रय करने हेतु निविदा ।

प्रथम चक्र की निविदा हेतु – निविदा खोलने की तिथि 23.11.2011
द्वितीय चक्र की निविदा हेतु – निविदा खोलने की तिथि 22.12.2011
तृतीय चक्र की निविदा हेतु – निविदा खोलने की तिथि 18.01.2012

(निविदा सूचना क्रमांक ते.प.–(2012)–I दिनांक 28.10.2011)

प्रति,
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक,
.....................................वृत्त,
डाकघर ....मध्यप्रदेश

प्रेषक,
निविदाकार का नाम – ....
पता – ....

(III) निविदा पत्र अन्तर्धारित करने वाला लिफाफा मुख्य वन संरक्षक को अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति को सम्यक अभिस्वीकृति प्राप्त करके दिया जा सकेगा या पावती पंजीकृत डाक द्वारा उनको इस प्रकार भेजा जा सकता है ताकि वह प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की निविदा हेतु क्रमशः दिनांक 22.11.2011, 21.12.2011 एवं 17.01.2012 को 16.30 बजे तक वन वृत्त कार्यालय में प्राप्त हो जावे । सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर भी निविदायें इन्ही तिथियों को प्राप्त की जावेंगी ।

6. निविदाओं का खोला जाना –

(I) विभिन्न वन वृत्तों के कार्यालयों में प्राप्त निविदायें क्रमशः दिनांक 23.11.2011, 22.12.2011 एवं 18.01.2012 को प्रातः 9.00 बजे से एक साथ जबलपुर, रीवा एवं भोपाल में ऐसे निविदाकारों के समक्ष जो उपस्थित हों, निम्नानुसार उल्लेखित किये गये परिसर में खोली जावेंगी और आवश्यकता पड़ने पर अगले दिनांकों को भी खोली जावेंगी, भले ही निविदाएं खोले जाने वाले दिनों को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया हो ।

(II) विभिन्न वृत्तों में प्राप्त निविदायें नीचे दिये गये क्रम में उनके सामने दर्शाये स्थानों पर खोली जायेंगी :–

	वन वृत्त तथा क्रम	स्थान जहां निविदायें खोली जावेंगी
(एक)	जबलपुर, सिवनी, छिन्दवाड़ा, बालाघाट	अनुसंधान विस्तार केन्द्र, पोलीपाथर, जबलपुर
(दो)	रीवा, शहडोल, छतरपुर	ईको सेंटर, जयन्ती कुंज (वन विश्राम गृह), रीवा
(तीन)	भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, इंदौर, खंडवा, उज्जैन, ग्वालियर, शिवपुरी, सागर	बहुउद्देशीय हाल, वन विश्राम गृह, 4 इमली, भोपाल

(III) प्रत्येक स्थान पर निविदायें निम्न अधिकारियों की समिति अथवा प्रबंध संचालक, संघ के द्वारा गठित समिति के द्वारा खोली जायेंगी :–

क्र.	स्थान	समिति के सदस्य
1.	**जबलपुर**	मुख्य वन संरक्षक, **जबलपुर वन वृत्त**, मुख्य वन संरक्षक, (अनुसंधान एवं विस्तार), **जबलपुर** एवं वन संरक्षक , **जबलपुर** वन मंडल।
2.	**रीवा**	मुख्य वन संरक्षक, **रीवा वन वृत्त**, मुख्य वन संरक्षक, (कार्यआयोजना), **रीवा** एवं वन संरक्षक, **रीवा** वन मंडल।
3.	**भोपाल**	मुख्य वन संरक्षक, **भोपाल वन वृत्त**, मुख्य वन संरक्षक, (अनुसंधान एवं विस्तार), **भोपाल** एवं वन संरक्षक, **भोपाल** वन मंडल ।

7. क्रेता करारनामा का निष्पादन –

(I) सफल निविदाकार का प्रस्ताव तार एवं/अथवा पत्र जारी कर स्वीकार किया जावेगा और ऐसी स्वीकृति जारी होने पर सम्बंधित तेन्दूपत्ते के लाट के क्रय की संविदा निविदाकार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं निविदाकार लाट का क्रेता माना जावेगा ।

परिशिष्ट–IV (क्रेता का करारनामा)

(II) सफल निविदाकार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 30 दिन के अन्दर, प्रत्येक लाट के लिए परिशिष्ट (IV) (क्रेता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा संबंधित वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा । निविदाकार के द्वारा 3000/– रुपये बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में वृत्त के मुख्य वन संरक्षक के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी । वृत्त के मुख्य वन संरक्षक हेतु निर्धारित 7 दिन की अवधि व्यतीत होने के उपरांत निविदाकार के द्वारा 3000/– रुपये बतौर फीस अतिरिक्त जमा किये जाने पर प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 15 दिन

का अतिरिक्त समय और दिया जा सकेगा । यदि क्रेता द्वारा वन वृत्त कार्यालय में 7 दिन की अवधि वृद्धि हेतु रूपये 3000/– रुपये बतौर फीस जमा नहीं किये गये है एवं उसके द्वारा उपरोक्तानुसार 15 दिवस की अतिरिक्त अवधि हेतु अनुरोध किया जाता है तो उसे रूपये 6000/– बतौर फीस जमा करना होगा । इस प्रकार 30वां दिन/7वां दिन/15वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा । 30 दिन/7 दिन/15 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय /मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी ।

(III) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में क्रेता की नियुक्ति वृत्त के मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित लाट के क्रय मूल्य के 8% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और मुख्य वन संरक्षक द्वारा निविदाकार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है । इसके अतिरिक्त यदि लाट/लाटों, जिनके लिये क्रेता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्वर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, क्रेता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम क्रेता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है, तो क्रेता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

8. देय राशि का भुगतान –

(अ) क्रेता देय राशि का भुगतान, क्रेता करारनामा के प्रावधानानुसार, चार बराबर किश्तों में निम्नांकित तिथियों को अथवा उनके पूर्व करेगा । प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ द्वारा इन तिथियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है ।

किश्त क्रमांक	तिथि
प्रथम	05.10.2012
द्वितीय	21.11.2012
तृतीय	05.01.2013
चतुर्थ	20.02.2013

(ब) सम्पूर्ण क्रय मूल्य के भुगतान पर रिबेट –

यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो क्रय मूल्य की राशि के 0.75% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी । यदि क्रेता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 99.25% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा । यदि प्रथम किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो इस उपकंडिका के प्रयोजन हेतु प्रथम किश्त की देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी । क्रेता द्वारा 30 अप्रैल तक लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित जमा करने पर उसे 30 अप्रैल तक लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित राशि के 2% की राशि की छूट उपलब्ध होगी तथा यदि वास्तविक संग्रहण के आधार पर देय अतिरिक्त क्रय मूल्य की राशि बनती है तो उस राशि पर भी 2% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी । वास्तविक

संग्रहण अधिसूचित मात्रा से कम रहने की स्थिति में भी 30 अप्रैल तक जमा कराई गई लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की राशि के आधार पर दो प्रतिशत की राशि की छूट उपलब्ध रहेगी ।

9. पत्तों का परिदान एवं प्रतिभूति निक्षेप –

(I) किश्त/किश्तों के भुगतान के उपरांत पत्तों का परिदान परिशिष्ट–I एवं IV में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा ।

परिशिष्ट–V
(क्रय मूल्य बैंक गारंटी)

(II) यदि क्रेता बैंक गारंटी के विरूद्ध तेंदूपत्ते का परिदान लेने की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तब वह ऐसा क्रेता करारनामा की कंडिका–7 में दर्शाई प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगा । बैंक गारंटी परिशिष्ट –V में दिये गये प्रपत्र में होगी ।

10. परिशिष्ट –

परिशिष्ट–I से V, जिनका कि सन्दर्भ ऊपर दिया गया है, जो कि संघ की इस अधिसूचना के साथ संलग्न हैं, समस्त प्रयोजनों के लिये इस निविदा सूचना के परिशिष्ट है एवं उनको संदर्भ के लिये देखें । अतः निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट – I से V को आगामी निविदाओं के उपयोग के लिये अपने पास सुरक्षित रखें ।

11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना –

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट I में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा ।

12. हानि की राशि की गणना –

क्रेता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी –

संबंधित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का समस्त व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल– 462003

परिशिष्ट– I
निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश, जो निविदा सूचना कमांक ते.प. (2012)- I दिनांक 28.10.2011 के भाग हैं

निविदा के निबंधन व शर्तें तथा निविदाकारों के लिए निर्देश और निविदा सूचना एवं उसकी अनुसूची व विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें नीचे दिये अनुसार हैं । ये निविदा सूचना के अभिन्न अंग होंगे ।

1. **परिभाषाएं –**

इस अधिसूचना तथा इसके परिशिष्टों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(i) **''अधिनियम''** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत मध्य प्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 (1964 का स. 29) से हैं ।

(ii) **''अभिकर्ता''** से तात्पर्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 4 के अंर्तगत नियुक्त अभिकर्ता से है ।

(iii) **''देय राशि''** से तात्पर्य लाट के क्रय मूल्य तथा उस पर देय कर के योग से है, जो सफल निविदाकार को देनी होगी ।

(iv) **''परिशिष्ट''** से तात्पर्य निविदा सूचना के परिशिष्ट से है ।

(v) **''बकाया''** से अभिप्रेत है, निविदाकार के विरूद्ध बकाया ऐसी कोई राशि जो मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग अथवा "संघ" को शोध्य है और जिसकी सूचना निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व वन विभाग अथवा संघ अथवा उनके पदाधिकारी द्वारा उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई हो,

(vi) **''संग्रहणकाल''** से तात्पर्य कैलेण्डर वर्ष की अप्रैल से जुलाई तक की अवधि से है,

(vii) **'' मुख्य वन संरक्षक''** से तात्पर्य सम्बन्धित क्षेत्रीय वन वृत्त के प्रभार में रहने वाले मुख्य वन संरक्षक से है, जो संघ के पदेन महाप्रबंधक भी घोषित है,

(viii) **''जिला यूनियन''** से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत कोई जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, जो संघ की सदस्य हो,

(ix) **'' वन मंडलाधिकारी ''** से तात्पर्य संबंधित सामान्य वन मण्डल के प्रभारी वन संरक्षक/वन मंडलाधिकारी से हैं, जो संघ के संबंधित जिला यूनियन के प्रबंध संचालक भी घोषित हैं,

(x) **''संघ''** से तात्पर्य मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल से है।

(xi) **''शासन''** से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है,

(xii) **''लाट''** से अभिप्रेत है, किसी प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति/वन विभाग द्वारा संग्रहित होने वाला तेंदू पत्ता ।

(xiii) **''नियमावली''** से तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 से है ।

(xiv) **"प्राथमिक समिति"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (कमांक 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्था मर्यादित जो "जिला यूनियन" की सदस्य हो ।

(xv) **"कय क्षमता"** से तात्पर्य उस राशि से है जो इन शर्तों एवं निबंधनों की शर्त. 5 (IV) तथा 6 (II) के प्रावधानों के अनुसार मान्य की गई हो ।

(xvi) **"कय मूल्य"** से तात्पर्य उस राशि से है, जो तेंदूपत्ता लाटों की मानक बोरा में संग्रहित मात्रा को नीचे (xvii) में परिभाषित कय दर से गुणा करने पर प्राप्त हो ।

(xvii) **"कय दर"** से तात्पर्य निविदाकार के द्वारा प्रस्तावित उस प्रति मानक बोरा निविदा दर से है, जो संघ के द्वारा स्वीकृत की गई हो ।

(xviii) **"परिक्षेत्र अधिकारी"** से तात्पर्य संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी से हैं, जो संघ के पदेन परिक्षेत्र प्रबंधक भी हैं,

(xix) **"देय कर"** से तात्पर्य लाट के पत्तों के कय मूल्य पर समय–समय पर प्रवृत्त देय विकय कर, वन विकास उपकर व अन्य सभी कर/उपकर आदि से है,

(xx) **"निविदा दर"** से तात्पर्य उस प्रति मानक बोरा दर (जिसमें मूल्य संवर्धित कर, वन विकास उपकर तथा अन्य कोई कर/उपकर सम्मिलित नही हैं) से है जो निविदाकार विभिन्न लाटों के तेंदूपत्ता के कय के लिए परिशिष्ट– II में दिए गए निविदा पत्र की कंडिका 9 में अलग –अलग लाट के लिए प्रस्तावित करेगा ।

(xxi) **"निविदाकार"** से तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा पंजीकृत फर्म या विधिक कंपनी से है, जो इन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन, तेंदूपत्ता कय करने हेतु निविदा प्रस्तुत करता है और इस अभिव्यक्ति में उसका दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे ।

(xxii) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो उपर परिभाषित नहीं हैं, परन्तु जो अधिनियम अथवा नियमावली में परिभाषित हैं, अर्थ वही होगा जो उनके लिए कथित अधिनियम अथवा नियमावली में दिया गया है ।

2. इकाईयों का विवरण –

इकाईयों का विवरण (नाम एवं सीमा) जिनमें से संग्रहण किया गया है, मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 की धारा 3 के अधीन, मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश द्वारा जारी की गई अधिसूचना कमांक ते.प/ 11001, दिनांक 26.11.86 तथा पश्चातवर्ती संशोधनों में दिया गया है ।

3. अधिनियम के प्रावधान का लागू होना –

अधिनियम तथा नियमावली के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे केताओं के ऊपर लागू होते हैं, निविदा सूचना एवं केता करारनामे के निबंधनों तथा शर्तों के विशेषतः अभिन्न अंग होंगे ।

4. अधिसूचित मात्रा से अधिक प्रदाय की सीमा –

(I) शर्त कमांक 4(II) के अध्यधीन रहते हुए तेंदूपत्ते का विकय संग्रहण केन्द्र से हरी अवस्था के आधार पर है । इच्छुक निविदाकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे समिति क्षेत्रों, जिनके लिए वे निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, का स्वयं निरीक्षण कर लें तथा तेंदूपत्ता की गुणवत्ता के बारे में अपनी संतुष्टि कर लें ।

(II) ठेका तेंदूपत्ते की अनुसूची में वर्णित मानक बोरों में अधिसूचित मात्रा के क्रय/विक्रय के लिए होगा । परन्तु यदि किसी लाट में इस निविदा सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में मानक बोरे संग्रहित होते हैं, तब क्रेता को उन्हें भी उस लाट के लिए स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर क्रय करना होगा । अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं इसके आधार पर की गई परिगणना को मान्य करना होगा ।

5. निविदा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि–

(I) निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह/वे किस हैसियत से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा है/कर रहे हैं, उदाहरणार्थ, सम्बंधित फर्म के पूर्ण स्वामी अथवा किसी मर्यादित कम्पनी के प्रबंध संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में । भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के नाम अभिलिखित होंगे और निविदा पत्र पर सभी भागीदारों द्वारा अथवा उनके सम्यक् रूप में नियुक्त अटार्नी द्वारा, जिसे मुख्त्यारनामा द्वारा या भागीदारी विलेख में दिये गये अनुसार संविदा संबंधी सभी विषयों में सभी भागीदारों को आबद्ध करने का अधिकार हो, हस्ताक्षर किये जायेंगे । पंजीकृत भागीदारी विलेख की एक सत्य प्रति निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी । जिस फर्म ने करार किया है, उस फर्म के प्रत्येक भागीदार के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह करार के चालू रहने के दौरान उसके अनुबंधों तथा शर्तों का अनुपालन करें, भले ही अभ्यंतर काल में भागीदारी का विघटन हो गया हो । मर्यादित कम्पनी की स्थिति में निविदा पर, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिसे कम्पनी द्वारा वैसा करने हेतु अधिकृत किया गया हो तथा कम्पनी मेमोरेंडम और आर्टीकल आफ एसोसिएशन की एक प्रति और वह पत्र जिसके द्वारा उस व्यक्ति को निविदा अभिलेखों में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है, निविदा पत्र के साथ संलग्न किये जायेंगे जो न करने पर निविदा अमान्य किये जाने योग्य होगी । अविभाजित हिन्दू कुटुम्ब की स्थिति में कुटुम्ब के सभी सदस्यों के नाम निविदा पत्र में लिखे जायेंगे तथा "कर्ता" जो कुटुम्ब को आबद्ध कर सके, निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और अपने हस्ताक्षर के नीचे अपनी हैसियत का उल्लेख करेगा ।

(II) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ मुख्त्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक् रूप से निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, निविदा पत्र के साथ संलग्न करेगा । यदि निविदा पत्र पर इस प्रकार हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उक्त मुख्त्यारनामा या भागीदारी विलेख संलग्न नहीं करता हैं, तो उसकी निविदा संक्षिप्त रूप से अस्वीकृति योग्य होगी । मुख्त्यारनामे पर, भागीदारी प्रतिष्ठान होने पर सभी भागीदारों द्वारा, प्रोप्राइटर फर्म होने पर प्रोप्राइटर द्वारा तथा मर्यादित कम्पनी होने पर उस व्यक्ति द्वारा जो अपने हस्ताक्षर से कम्पनी को आबद्ध कर सकता है, हस्ताक्षर किये जायेंगे। हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब होने पर मुख्त्यारनामे पर "कर्ता" जो अपने हस्ताक्षर से कुटुम्ब को आबद्ध कर सकता है, द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे ।

(III) अवयस्क, दिवालिया, अथवा काली सूची में दर्ज व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत निविदाएं अवैध मानी जावेंगी ।

(IV) ऐसा निविदाकार जो कि बकायादार है, निविदा पत्र के साथ किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/ डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो संघ के प्रबंध संचालक के पक्ष में भोपाल में देय हो, बकाया का भुगतान कर सकता है परन्तु यदि वह ऐसा करने में चूक करता है, तो उसके द्वारा निविदा के साथ सत्यंकार के रूप में जमा राशि से बकाया राशि को काट कर शेष राशि के आधार पर उसकी क्रय क्षमता की गणना कर उसकी निविदा पर विचार किया जावेगा ।

(V)निविदाकार का निविदा देने की तिथि को अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत विनिर्माता/व्यापारी के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है और यदि वह केता नियुक्त किया जाता है तो उसे करार समाप्ति की तिथि तक पंजीयन प्रमाण – पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा । निविदा पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर उस वर्ष जिसमें निविदा दी गई हैं के पंजीयन प्रमाण– पत्र का कमांक एवं दिनांक तथा वन मंडल का उल्लेख करना आवश्यक है एवं निविदा के साथ वन मंडलाधिकारी द्वारा दिये गए पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है ।

(VI) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार सभी निविदाकारों को स्थाई आयकर कमांक (PAN) निविदा पत्र में अंकित करना एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है । स्थाई आयकर कमांक (PAN) निविदा पत्र के प्रथम पृष्ठ पर ऊपरी दांये कोने में अंकित करना होगा ।

(VII) यदि कोई निविदाकार निविदा के खुलने के समय कोई कदाचार करता हैं या शांति बनाये रखने में बाधा डालता है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा अवैध घोषित कर दी जायेगी एवं उसके द्वारा निविदा के साथ जमा सत्यंकार की राशि अधिहरित कर ली जावेगी तथा ऐसी निविदा के अवैध घोषित किये जाने के कारण संघ को हुई हानि उससे वसूली योग्य होगी और इसके अतिरिक्त ऐसे निविदाकार को ऐसी कालावधि के लिए मुख्य वन संरक्षक द्वारा काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा, जो तीन वर्षों तक हो सकती है ।

6. **सत्यंकार की राशि –**

(I) प्रत्येक निविदा, सत्यंकार की राशि जो निविदा पत्र में दर्शित कय क्षमता की 8% की राशि से किसी भी दशा में कम नहीं होगी, के साथ प्रस्तुत की जावेगी । यह सत्यंकार की राशि म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के प्रबंध संचालक के पक्ष में, भोपाल में देय किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जाएगी । अन्य किसी रूप में सत्यंकार की राशि जमा करने पर निविदा संक्षिप्त रूप से अमान्य किये जाने योग्य होगी ।

(I)(अ)यदि डाउनलोडेड निविदा, निविदा सूचना शर्त क्र. 4 (I) (अ) में विहित अनुसार रुपये 500/– के पृथक बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो उसके द्वारा ऐसी निविदा के साथ सत्यंकार के रुप में जमा राशि से ऐसी रू. 500/– की राशि काटकर शेष राशि के आधार पर उसकी कय क्षमता की गणना कर उसकी निविदा पर विचार किया जावेगा ।

(II)निविदा–पत्र में उल्लेखित कय क्षमता की राशि अथवा बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट की राशि के 12.5 गुना राशि में से, जो भी कम हो, निविदाकार की कय क्षमता के रूप में मान्य की जावेगी और इस प्रकार मान्य की गई कय क्षमता के आधार पर निविदा पर विचार किया जायेगा । यदि निविदा में कय क्षमता का उल्लेख नहीं है अथवा निविदाकार द्वारा उल्लेखित कय क्षमता में शब्दों एवं अंकों में अंतर है, तो निविदा के साथ सत्यंकार की राशि के रूप में संलग्न बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट की राशि की 12.5 गुना राशि कय क्षमता मानी जावेगी । ऐसे निविदाकार की कय क्षमता, जो कि बकायादार है, अथवा/और जो डाउनलोडेड निविदा प्रस्तुत कर रहा है, का निर्धारण शर्त कमांक 5 (IV) एवं 6 (I) (अ) के अनुसार परिगणित, कम की गई सत्यंकार की राशि के आधार पर किया जावेगा ।

(III) सफल निविदाकार के द्वारा जमा की गई सत्यंकार की राशि प्रथमतः उसके द्वारा देय प्रतिभूति राशि के रूप में शर्त कमांक 10 (I) के अनुसार समायोजित की जावेगी ।

(IV) उपरोक्तानुसार प्रतिभूति के रूप में समायोजित करने के उपरांत शेष सत्यंकार की राशि निविदाकार के निवेदन पर उसको आवंटित लाट/लाटों की किश्त/किश्तों के भुगतान की ओर समायोजित की जावेगी अथवा उसे वापिस कर दी जावेगी या संघ की अनुमति से पश्चातवर्ती निविदा में विभिन्न प्रयोजनों हेतु उपयोग की जा सकेगी ।

(V) असफल निविदाकारों की सत्यंकार राशि उन्हें परिणाम घोषित होने के उपरांत उनके आवेदन अनुसार अन्य लाटों की देय राशि में समायोजित कर दी जावेगी या आगामी निविदा/नीलाम मे सत्यंकार की राशि के रुप में उपयोग की जा सकेगी या वापिस कर दी जावेगी ।

(VI) सत्यंकार की राशि पर किसी भी दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

7. **निविदा भरने की प्रकिया –**

(I) एक अथवा एक से अधिक लाटों के कय के लिए एक निविदाकार एक ही निविदा प्रस्तुत कर सकेगा । यदि कोई निविदाकार एक से अधिक निविदा प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(II) निविदा केवल अधिकृत अधिकारियों से प्राप्त अनुक्रमांकित निविदा पत्रों **अथवा** संघ की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये प्रपत्रों पर ही प्रस्तुत की जा सकेगी अन्यथा प्रस्तुत की गई निविदा अवैध मानी जावेगी। यह आवश्यक है कि अधिकृत अधिकारियों से प्राप्त अनुक्रमांकित निविदा पत्र के उपर उस कार्यालय की सील हो जहां से उसे प्राप्त किया गया है और जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर भी उस पर होने चाहिए ।

(III) निविदाकार को निविदा पत्र में प्रत्येक लाट के कय के लिए अपना प्राथमिकता कम दर्शाते हुए अलग–अलग दर देना होगी । निविदाकार तेंदूपत्ता के प्रत्येक लाट के लिए प्रति मानक बोरा दर, जिसमें कर/ उपकर सम्मिलित नहीं होंगे, अपने निविदा पत्र में प्रस्तावित करेगा । प्रस्ताव में प्रति मानक बोरा दर दर्शाना होगी, एकमुश्त रकम नही । निविदा दर पूर्ण रूपये में दी जावेगी । यदि दर रूपये के अंश में प्रस्तावित की गई तो उसे अगले अधिक पूर्ण रूपये में ही संघ द्वारा माना जावेगा और निविदाकार को उसे मानना होगा । यदि अंको और शब्दों में दी गई दरों में अंतर हो तो उनमें से उच्चतम दर को ही निविदाकार का प्रस्ताव माना जावेगा ।

(IV) निविदाकार को अपने प्रथम प्राथमिकता वाले लाट के विवरण को अनुकमांक–1 पर, दूसरी प्राथमिकता वाले लाट के विवरण को अनुकमांक–2 पर और तद्नुसार निविदा पत्र के कंडिका–9 में अंकित करना चाहिये । निविदाकार के द्वारा निविदा पत्र में दर्शाये गये प्राथमिकता कम में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं करने दिया जावेगा ।

(V) विभिन्न लाटों के लिए प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत किये जा सकेंगे कि लाटों, जिनके लिए प्रस्ताव दिये गये हैं, का कुल कय मूल्य कय क्षमता के 10 गुना से अधिक न हो, परन्तु प्रस्ताव केवल कय क्षमता तक ही स्वीकृत किये जावेंगे ।

(VI) यदि प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का कुल कय मूल्य कय क्षमता के 10 गुना से अधिक है तो ऐसे प्रस्तावों (प्राथमिकता कम के अनुसार) जो इस सीमा से अधिक हैं, पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(VII) यदि कोई निविदाकार एक लाट के लिए एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो उसके द्वारा दिये गये उच्चतम दर पर ही विचार किया जावेगा और निचली दरों के प्रस्तावों के संबंध में यह माना जावेगा कि वह प्रस्तुत ही नहीं किये गये । यदि एक लाट के लिए निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों की दरें समान हैं, तो केवल उच्चतम प्राथमिकता के प्रस्ताव पर ही विचार किया जावेगा और निचली प्राथमिकता के प्रस्तावों के संबंध में यह माना जावेगा कि वह प्रस्तुत ही नहीं किये गये ।

(VIII) यदि निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत निविदा में किसी लाट के प्रस्ताव स्पष्ट नहीं हैं अर्थात् वह प्रस्ताव किस विशिष्ट लाट के लिए दिया गया है या किस राशि के लिए है अथवा यदि किसी लाट की पहचान के संबंध में कोई त्रुटि की गई है अथवा किसी लाट के शब्दों एवं अंकों में दर्शाए गये क्रमांक में अन्तर पाया जाता है तो उस लाट के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा ।

(IX) निविदाकार को अपने पत्र में अपना पूर्ण एवं सही डाक का पता इस हेतु, निर्धारित स्थान पर आवश्यक रूप से अंकित करना होगा । इस पते पर पंजीकृत डाक से भेजे गये पत्र उसके द्वारा प्राप्त किये गये माने जावेंगे । निविदाकार को संबोधित समस्त पत्रों को प्राप्त करने का दायित्व उसका स्वयं का है । यदि निविदाकार के द्वारा अंकित किया गया डाक पता गलत पाया जाता हैं तो उसका नाम काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

(X) यदि कोई निविदाकार अपनी निविदा में किसी प्रविष्टि को काटकर अथवा उपरिलेखन करके कोई शुद्धि करता है तो ऐसे शुद्धिकरण का विवरण निविदा पत्र की कंडिका–8 में दिया जाना आवश्यक है तथा सही की गई प्रविष्टि पर निविदाकार द्वारा अपने हस्ताक्षर किये जावेंगे । निविदा पत्र की कंडिका–8 में उल्लेखित शुद्धिकृत प्रविष्टियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य काटी अथवा उपरिलिखित प्रविष्टि पाई जाती हैं अथवा यदि सुधार उपरांत किसी प्रविष्टि पर निविदाकार के हस्ताक्षर नहीं पाये जाते हैं तो उस प्रविष्टि को अवैध माना जावेगा और उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

(XI) निविदाकार को निविदा पत्र के प्रत्येक पृष्ठ को भरना होगा और प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना होगा तथा उसके साथ समस्त आवश्यक अभिलेख एवं सम्यक् रूप से निष्पादित किये गये निविदाकार के करारनामे को संलग्न कर, निविदा सूचना की शर्त क्रमांक–5 के अनुसार उसे प्रस्तुत करना होगा । सम्यक् रूप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा तथा अन्य अभिलेख निविदा पत्र के साथ संलग्न न किये जाने पर, निविदा विचार किये जाने योग्य नहीं होगी ।

8. प्रस्तावों को वापिस लिया जाना आदि –

(I) निविदाओं का खुलना प्रारम्भ होने के पूर्व कोई भी निविदाकार निविदा सूचना की शर्त क्रमांक–6 के अंर्तगत, निविदाओं को खोलने हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्ताव वापसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, उसके द्वारा किसी लाट/लाटों के लिए किये गये प्रस्ताव को वापस ले सकेगा। प्रस्ताव वापसी के आवेदन पत्र में उन लाटों के क्रमांक एवं प्राथमिकता क्रमांक अंकों एवं शब्दों में उल्लेख करना आवश्यक होगा, जिनके प्रस्ताव वापस लिये जाना प्रस्तावित हैं। उक्त विवरण के अभाव में अथवा अंकों एवं शब्दों में भिन्नता होने पर संबंधित प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(II) निविदाओं का खुलना प्रारम्भ होने के उपरांत कोई भी निविदाकार किसी लाट/लाटों के लिये अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकेगा और वह अपने प्रस्ताव तथा निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों से तथा इन निबंधनों तथा शर्तों से तब तक बाध्य रहेगा जब तक संघ के द्वारा उसके प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी पत्र जारी नहीं कर दिया जाता । इस शर्त का उल्लंघन करने पर संबंधित लाट/लाटों के क्रय मूल्य, जो कि उसके द्वारा प्रस्तावित दर को लाट की मानक बोरा में अधिसूचित मात्रा से गुणा करने पर परिगणित किया जावेगा, की 8% राशि का उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर लिया जावेगा और उसे 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये काली–सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

9. **निविदाओं को स्वीकार किया जाना –**

(I) शासन/संघ निविदा पत्र में अंकित किसी भी लाट या समस्त लाटों के प्रस्ताव/प्रस्तावों को बिना कारण दर्शाये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(II) विभिन्न निविदाकारों को लाटों का आवंटन करने के लिए शासन/संघ विभिन्न लाटों या लाटों के वर्ग या विभिन्न क्षेत्रों के लाटों के लिए भिन्न–भिन्न कट आफ स्तर/अवरोध मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है ।

(III) यदि किसी विशिष्ट लाट के लिए एक से अधिक निविदाकारों के द्वारा एक ही दर प्रस्तावित की जाती है तो उस लाट का आवंटन निविदाकारों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया जावेगा । यदि निविदा दर एवं प्राथमिकता क्रम दोनों एक समान हों तो लाट के आवंटन की प्राथमिकता संघ द्वारा लाटरी निकाल कर तय की जावेगी ।

(IV) निविदाकार ऐसे लाट/लाटों को जो कि उसकी क्रय क्षमता की सीमा के अंदर आते है और जिनके प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं, स्वीकार करने को बाध्य होगा ।

10. **प्रतिभूति निक्षेप–**

(I) क्रेता करारनामा निष्पादित करने के पूर्व निष्पादित किये जाने वाले क्रेता करारनामा के निबंधनों तथा शर्तों के यथोचित अनुपालन के लिए सफल निविदाकार को उसके पक्ष में संघ के द्वारा स्वीकृत किये गये लाटों की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित कुल क्रय मूल्य की 25% की राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करना होगी । इसमें से न्यूनतम 10% की राशि बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में एवं शेष 15% तक की राशि Post dated Cheques (धनादेश) के रूप में जमा करनी होगी । उपरोक्त 10% की राशि के प्रयोजन हेतु उसके द्वारा शर्त क्रमांक 6 के अनुसार जमा की गई सत्यंकार की राशि, जिस हद तक वह उपलब्ध है, प्रतिभूति निक्षेप के रूप में संघ के द्वारा समायोजित कर ली जावेगी और अवशेष राशि, यदि कोई हो, तो उसको निर्धारित समय के अंदर उसे जमा करना होगा । बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जाने वाली राशि में से अवशेष देय प्रतिभूति की राशि मुख्य वन संरक्षक के पास, किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के नाम होगा तथा संबंधित प्रबंध संचालक जिला यूनियन के मुख्यालय के किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर देय होगा, के रूप में अदा की जाएगी । शेष 15 प्रतिशत की प्रतिभूति निक्षेप की राशि शर्त क्रमांक 10(V) के अनुसार प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में जारी किसी भी अनुसूचित बैंक के Post dated Cheques (धनादेश) के रूप में जमा की जावेगी ।

यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधो के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

(III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू–राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।

(IV) प्रतिभूति निक्षेप या इसमें से अवशेष राशि (धनादेश (चेक) को छोड़कर), जैसी भी स्थिति हो, प्रबंध संचालक जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों,अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती, के पश्चात् उस सीमा तक अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजित की जावेगी जिस सीमा तक समायोजन के उपरांत Post dated Cheques (धनादेश) के रूप में जमा प्रतिभूति की राशि, यदि कोई हो, सहित कुल अवशेष प्रतिभूति निक्षेप की राशि 15% से कम न हो । संग्रहण केन्द्र से परिदान लेने की स्थिति

में भी उपरोक्तानुसार राशि रोकते हुये प्रतिभूति निक्षेप में से अवशेष राशि क्रेता के विरूद्ध वास्तविक संग्रहण के आधार पर देय राशि, यदि कोई हो, के विरूद्ध समायोजित की जावेगी । लाट की अधिसूचित मात्रा से अधिक समस्त संग्रहित की गई मात्रा का परिदान क्रेता द्वारा लेना होगा । उक्त अधिक मात्रा हेतु देय राशि, लाट के विक्रय मूल्य के आधार पर उसे भुगतान करना होगा । लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके द्वारा उक्त राशि भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा ।

(V) इस शर्त के प्रयोजन हेतु Post dated Cheques (धनादेश) क्रेता द्वारा प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में जारी किया जाना होगा । यह Post dated Cheques (धनादेश) इस प्रकार जारी होना चाहिये कि उसकी वैधता अवधि दिनांक 31.05.2013 तक हो । यदि इस प्रयोजन हेतु प्रस्तुत धनादेश (चेक) की वैधता अवधि दिनांक 31.05.2013 के पूर्व समाप्ति योग्य है तो क्रेता को इस धनादेश (चेक) के साथ उतनी ही राशि का उत्तरदिनांकित धनादेश (चेक) इस प्रकार संलग्न करना होगा कि यह द्वितीय धनादेश (चेक) दिनांक 31.05.2013 तक की वैधता अवधि का हो । यदि उपरोक्तानुसार जारी दो धनादेशों से उक्त वैधता अवधि, दिनांक 31.05.2013 की पूर्ति न होती हो तो क्रेता को आवश्यकतानुसार इससे आगे की दिनांकों के उतनी ही राशि के उत्तरदिनांकित धनादेश (चेक) इस प्रकार संलग्न करना होंगे कि अंतिम धनादेश (चेक) की वैधता अवधि दिनांक 31.05.2013 तक हो । उपरोक्त उप कंडिका (IV) में दर्शाए समायोजन के उपरांत अवशेष प्रतिभूति निक्षेप की राशि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती है, के पश्चात् क्रेता को वापस लौटा दी जावेगी । ऐसी राशि की वापसी क्रेता द्वारा तेंदूपत्ते की सम्पूर्ण मात्रा के परिदान प्राप्त करने के उपरांत ही की जायेगी ।

11. तेंदूपत्ते का परिदान–

(I) क्रेता द्वारा 30 अप्रैल 2012 तक लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर देय कुल क्रय मूल्य एवं उस पर देय समस्त कर भुगतान करने एवं प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में उक्त दिनांक तक इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर लाट के क्षेत्र में संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ते की समस्त मात्रा का संग्रहण केन्द्र से परिदान किया जावेगा ।

(II) यदि क्रेता द्वारा उपरोक्तानुसार संग्रहण केन्द्र से तेंदूपत्ता परिदान की सुविधा हेतु दिनांक 30 अप्रैल 2012 तक उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान नहीं किया जाता है एवं आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि वह संग्रहण केन्द्र से परिदान लेने का इच्छुक नहीं है । ऐसी दशा में उसे गोदामीकरण के उपरांत प्रत्येक किश्त का भुगतान करने पर लाट की कुल गोदामीकृत मात्रा की एक चौथाई मात्रा या संपूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान करने पर पूरी मात्रा अथवा किश्त की राशि का भुगतान करने पर भुगतान की गई राशि के समतुल्य मात्रा का परिदान दिया जावेगा । परिदान दिये जाने के समय लाट में से तेंदूपत्ते की छंटाई करने की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारम्भ किया गया है ।

(III) क्रेता को उसके द्वारा परिदान में ली गई स्टाक की सम्पूर्ण मात्रा को संघ के गोदामों के परिसरों से हटाना होगा तथा उसे छंटाई या अन्य किसी प्रकार के कार्य को संघ के गोदामों के परिसरों या उनके निकट के क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

12. अधिनियम आदि का उल्लंघन –

ऐसा क्रेता जो अधिनियम, नियमावली और/ अथवा क्रेता करारनामे की किन्ही शर्तों का उल्लंघन करता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 15 के अंर्तगत वह दंडित किया

जाता है या उसके करारनामें को समाप्त किया जाता है, को पांच वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा ।

13. करारनामें का हस्तांतरण –

क्रेता संघ/मुख्य वन संरक्षक की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना अनुबंध को किसी अन्य व्यक्ति/पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा । ऐसे अनुबंध का हस्तांतरण संघ/संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा इस शर्त पर किया जा सकेगा कि जिस व्यक्ति/पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान के पक्ष में अनुबंध हस्तांतरित किया जाना है वह रू. 7000/– की राशि हस्तांतरण शुल्क के रूप में तथा लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की 25% राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में, जिसमें से न्यूनतम 10% राशि किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड/बैंक ड्राफ्ट जोकि प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय की किसी अनुसूचित बैंक की शाखा पर/भोपाल में देय होगा, एवं शेष 15% तक की राशि शर्त क्रमांक 10 के अनुसार प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में जारी किसी भी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी के रुप में अदा करें । हस्तांतरणकर्ता का आवेदन, हस्तांतरण ग्रहिता की सहमति, अधिनियम के तहत विनिर्माता/व्यापारी के प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं उपरोक्तानुसार हस्तांतरण शुल्क रू. 7000/– तथा लाट की अधिसूचित मात्रा (दिनांक 15.07.2012 के पश्चात संग्रहित मात्रा) के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की 25% प्रतिभूति निक्षेप की राशि के ड्राफ्ट एवं Post dated Cheques (धनादेश) के रुप में संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में लाट के लिए निर्धारित प्रथम किश्त की देय तिथि के पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए, परन्तु हस्तांतरण की अनुमति हेतु कोई आवेदन 15.04.2012 से 15.07.2012 की अवधि के बीच स्वीकार नहीं किया जावेगा । ऐसे प्रकरणों में हस्तांतरणकर्ता क्रेता लाट के संबंध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा, जब तक हस्तांतरण ग्रहिता क्रेता संबंधित मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में संबंधित लाट का करारनामा निष्पादित नहीं कर देता है ।

मध्यप्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के
rgr iath;u dzekad

आयकर का PAN

पी.टी.एन.

परिशिष्ट– II

(निविदा सूचना कमांक ते.प. (2012)- I दिनांक 28.10.2011 का परिशिष्ट)
मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित,
खेल परिसर, इंदिरा निकुंज, 74 बंगले, भोपाल – 462003

तेंदूपत्ता लाट के अग्रिम क्रय हेतु निविदा पत्र

(निविदा सूचना की शर्त कमांक –4)

1. मैं/हम/मेसर्स ....(नाम) आत्मज ....(नाम) ग्राम .... पुलिस थाना ....जिला............................... एतद् द्वारा नीचे कंडिका 9 की तालिका में दर्शाये गये लाटों में से क्रय क्षमता रूपये .... (अंकों में) रूपये ....(शब्दों में) मूल्य तक के लाटों के पत्ते को दिनांक .... को समाप्त होने वाली अवधि में निविदा सूचना तथा करारनामें की शर्तों तथा अनुबंधों के अनुसार क्रय करने के लिए करार करता हूं/ करते हैं ।

2. मैं/हम/मेसर्स ....(नाम) दिनांक .... को समाप्त होने वाली करार अवधि के दौरान तेंदूपत्ता के क्रय के लिए नीचे कंडिका 9 की तालिका में बताये अनुसार प्रत्येक लाट के लिए अलग–अलग प्रति मानक बोरा दर अर्थात् "निविदा दर" जिसमें विक्रय कर, वन विकास उपकर तथा अन्य कर/उपकर शामिल नहीं है, प्रस्तावित करता हूं/करते हैं ।

3. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषित करता हूं/ करते हैं कि मैंने/ हमने मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के समस्त उपबंधों, उसके अधीन बनाये गये नियमों, निविदा सूचना क्रमांक ते.प.(2012) ....दिनांक ....की शर्तों और निविदा सूचना से संलग्न करारनामें की शर्तों को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है और मैं/ हम उनका पालन करने का करार करता हूं/ करते हैं।

4. मैं/ हम अधिनियम के अंर्तगत बीड़ी विनिर्माता व/या तेंदूपत्ता के व्यापारी के रूप में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र जिस पर वन मण्डल .... का क्रमांक ....दिनांक ....अंकित है, धारण करता हूं/ करते हैं ।

निविदाकार के हस्ताक्षर.........................

5. मैं/हम निविदा सूचना के निबंधन तथा शर्तों के अधीन अपेक्षित निम्नलिखित संलग्न करता हूं/करते हैं—

<table>
<tr><th>अ.क.</th><th>अभिलेख</th><th colspan="3">विवरण</th><th>निविदा पत्र के साथ संलग्न पृ. कमांक.......... से ....तक</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>निविदा पत्र के लिए रूपये 500.00 देनगी का साक्ष्य (निविदा सूचना की शर्त–4(I)</td><td colspan="3">कार्यालय ....
रसीद कमांक ....
(फोटो प्रति संलग्न है)</td><td>डाउनलोडेड निविदा पत्र हेतु संलग्न
ड्राफ्ट क. –
दिनांक –</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>क.</td><td>बैंक/डिमांड ड्राफ्ट कमांक एवं दिनांक</td><td>बैंक का नाम एवं ब्रांच</td><td>राशि रू.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कय क्षमता की 8% के रूप में जमा की गई सत्यंकार की राशि (परिशिष्ट–I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क. 6(I))</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">योग कंडिका क.(2)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वन विभाग/संघ को शोध्य रकम के भुगतान का विवरण (परिशिष्ट–I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क. 5(IV))</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">योग कंडिका क.(3)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>मुख्त्यारनामा / फर्म के पंजीयन/ फर्म भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि (परिशिष्ट– I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क. 5(I))</td><td colspan="4">(संलग्न किये गये अभिलेख का नीचे विवरण दें)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>म.प्र. तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 के अधीन पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति (परिशिष्ट –I में दिये गये निबंधन एवं शर्तों की शर्त क.5(V))</td><td colspan="4">वन मण्डल ....
कमांक ....दिनांक....................
(फोटो प्रति संलग्न है)</td></tr>
</table>

निविदाकार के हस्ताक्षर..........................

6. मैं/हम एतद् द्वारा घोषित करता हूं/ करते है कि मैं/ हम मेरी/ हमारी निविदा खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूँगा/रहेंगे, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश नहीं दे दिए जाते या दूसरा व्यक्ति या पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान उन लाटों के लिए क्रेता नियुक्त नहीं हो जाता/जाते हैं ।

7. फर्म के भागीदारों के नाम व पते इस प्रकार हैं :—

अ.क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

8. मैं/हम एतद् द्वारा प्रकट करता हूं/करते है कि निविदा पत्र के विभिन्न ब्योरे भरते समय मैंने/हमने कतिपय प्रविष्टियों में सुधार किया है जिनके पृथक—पृथक ब्योरे निम्नानुसार है :—

अ.क्र.	निविदा पत्र का पृ.क्र.	पंक्ति का क्रमांक	सही की गई प्रविष्टि
1	2	3	4

मैंने/हमने उपरोक्त प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर भी कर दिये है। (परिशिष्ट— I में दी गई निबंधन एवं शर्तों की शर्त क्रमांक 7(X))

निविदाकार के हस्ताक्षर.........................

9. मैं/हम/मेसर्स .... एतद् द्वारा नीचे दर्शाए गये प्राथमिकता के कम अनुसार निम्नांकित तेंदूपत्ता लाटों के कय के लिए, उनके समक्ष दर्शाए प्रति मानक बोरा दर अर्थात निविदा दर जिसमें विकय कर, वन विकास उपकर तथा अन्य कर/ उपकर शामिल नहीं है, प्रस्तावित करता हूं/करते है ।

प्राथमिकता	**लाट कमांक**		**प्रस्तावित दर प्रति मानक बोरा (रूपये में)**	
कम	(अंकों में)	(शब्दों में)	(अंकों में)	(शब्दों में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.				
2.				
3.				
4.				
–				
–				
–				
–				
38.				
39.				
40.				

मैं/ हम उपरोक्त दर्शित लाटों में से इस निविदा पत्र में दर्शाई गई कय क्षमता के बराबर या उससे कम किसी भी लाट/लाटों के पत्ते को कय करने को इच्छुक एवं सहमत हूं/हैं ।

मैंने/ हमनें निविदा सूचना कमांक ते.प.(2012)– .... दिनांक .... तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्ट -I 'निविदा के निबंधन एवं शर्तें भली–भांति पढ़ लिये हैं तथा मुझे/हमे स्वीकार है एवं उनसे अपने आप को आबद्ध करते हैं ।

स्थान ....
दिनांक ....

निविदाकार के हस्ताक्षर................

डाक का पूरा पता
दूरभाष कमांक ....

टीपः– कालम 2 एवं 4 में अंग्रेजी अंकों का ही उपयोग किया जाये ।

40 से अधिक लाटों के लिए प्रस्ताव दिये जाने के लिए आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यालय से सतत् पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं।

परिशिष्ट– III

(निविदा सूचना कमांक ते.प. (2012)- I दिनांक 28.10.2011 का परिशिष्ट)

निविदाकार का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त कमांक –4(II))

यह करार आज दिनांक ....माह.................सन्...................को प्रथम पक्ष मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक..................वृत्त के मार्फत कार्य करते हुए मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या. (जिन्हे इसके आगे "संघ" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष श्री/मेसर्स.................. ....आत्मज ....ग्राम ....पुलिस थाना ....जिला............................(जिन्हें इसके आगे "निविदाकार कहा गया है", जिस अभिव्यक्ति में, उसके दायद, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होंगे) के मध्य किया जाता है।

चूँकि तेंदूपत्ते का व्यापार मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों द्वारा विनियमित होता है,

और

चूँकि शासन द्वारा संघ को संपूर्ण मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से संग्रहित होने वाले तेंदूपत्तों के समस्त लाटों के निर्वर्तन हेतु अधिकृत किया गया है,

और

चूँकि वर्ष **2012** संग्रहण सीजन में संघ विभिन्न समितियों के माध्यम से संग्रहित होने वाले तेंदूपत्तों के लाटों का निविदा द्वारा निर्वर्तन करना चाहता है एवं उसके द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने हेतु सूचना क. ते.प. (2012)........................दिनांक ....जारी की गई है और चूँकि संघ उपरोक्त निविदा सूचना की शर्तों के परिपालन के लिए संभावित निविदाकारों से निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व एक करारनामा निष्पादित करवाना चाहता है ।

अतएवं यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और इससे संबंधित व्यक्ति, पंजीकृत फर्म या विधिक संस्थान द्वारा एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैं :–

1. मैं/ हम ....एतद् द्वारा यह घोषित करता हूं/करते है कि मैंने/हमने मध्य प्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के समस्त उपबंधों, उसके अधीन बनाये नियमों, उपरोक्त वर्णित निविदा सूचना की शर्तों, निविदा सूचना के परिशिष्ट–I में दिये गये निविदा के निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देश तथा उपरोक्त निविदा सूचना से संलग्न केता करारनामा की शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूं/करते हैं ।

2. मैं/ हम ....एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते है कि मैं/हम निविदाएं खुलना प्रारम्भ होने के पश्चात् अपना प्रस्ताव (ऑफर) वापस नहीं लूंगा/लेंगे। मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते है कि मैं/हम निविदा खुलने के बाद अपने प्रस्ताव (ऑफर) पर तथा इस निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों पर तब तक बाध्य रहूंगा/रहेंगे, जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश नहीं हो जाते या दूसरा व्यक्ति या पक्ष उस लाट/लाटों के लिए केता नियुक्त नहीं हो जाता जिसके/जिनके लिए मैंने/हमने निविदा प्रस्तुत की है ।

3. मेरे/हमारे ....के द्वारा इस करारनामे की शर्तों के परिपालन में असफल होने पर मैं/ हम ऐसी शास्ति के भुगतान के दायित्वाधीन रहूँगा/रहेंगे जैसी कि निविदा सूचना की शर्तों और उपबंधों के अधीन वसूली योग्य होगी ।

4. इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1964 के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय–समय पर जारी किये गये आदेशों तथा अधिसूचना के साथ ही संघ की अधिसूचना क्रमांक ते.प. (2012) ....दिनांक .... के अधीन जारी की गई निविदा सूचना के उपबंधों तथा शर्तों के और जो सब इस करार के भाग होंगे और इसके भाग बन गये समझे जायेंगे और जिनका यह अर्थ लगाया जायेगा कि वे इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपस्थित है, उपबंधों के अध्यधीन है ।

5. मैं/ हम ....एतद् द्वारा घोषित करता हूं/करते है कि मेरे/हमारे विरूद्ध मध्यप्रदेश में न तो वन विभाग अथवा संघ की कोई राशि बकाया है और न ही मैं/हम/शासन/संघ के द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया हूँ/हैं ।

जिसके साक्ष्य में मैंने/हमने संबंधित व्यक्ति/पंजीकृत फर्म/विधिक कम्पनी ने पहले उपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

साक्षीगणः–

1. हस्ताक्षर ....
नाम एवं डाक का पूरा पता ....

2. हस्ताक्षर ....
नाम एवं डाक का पूरा पता ....

की उपस्थिति में

....

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम ....
डाक का पूरा पता ....
....

साक्षीगणः–

1. हस्ताक्षर ....
नाम एवं डाक का पूरा पता ....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से

2. हस्ताक्षर ....
नाम एवं डाक का पूरा पता ....

की उपस्थिति में

....

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक
..............................वृत के हस्ताक्षर

परिशिष्ट– IV

(निविदा सूचना कमांक ते.प. (2012)- I दिनांक 28.10.2011 का परिशिष्ट)

केता का करारनामा

(निविदा सूचना की शर्त कमांक –7)

यह करार आज दिनांक ....माह.................सन्..................को प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश के राज्यपाल जो विलेख के प्रयोजन के लिए मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित......................वृत (जो इसके पश्चात् मुख्य वन संरक्षक के नाम से निर्दिष्ट है) के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री... आत्मज ....निवासी................................ग्राम.......................और जो (1) श्री................ ....(2) श्री ....(3) श्री .... के साथ ....स्थित कम्पनी, जिसका नाम ....है तथा जो इंडियन कंपनी एक्ट, 1913 (7–1913), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय ....में स्थित है, के साथ भागीदारी में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात् केता के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके दायद, उत्तराधिकारी, निष्पादक और उनके उत्तरजीवी, अंतिम उत्तरजीवियों के दायद, निष्पादक तथा प्रशासक उक्त कंपनी का तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया जाता है (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो)

चूँकि मध्यप्रदेश राज्य में तेंदूपत्ते का व्यापार, मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (कमांक 29/1964) के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966, भारतीय वन अधिनियम, 1927 और उसके अधीन बनाये गए नियमों तथा उनके कानूनी उपांतरणों, जहां तक वे ऐसे व्यापार को लागू है, द्वारा विनियमित होता है, और चूँकि राज्य शासन ने संग्रहण वर्ष **2012** के तेंदूपत्ते के संग्रहण व निर्वर्तन के लिए मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित को अभिकर्ता नियुक्त किया है और संघ ने समितियों के माध्यम से संग्रहित किये जाने वाले तेंदूपत्ते के विकय के लिए अपनी निविदा सूचना कमांक ते.प. (2012)–........ दिनांक .... के द्वारा निविदायें आमंत्रित की थी, और केता के द्वारा लाट कमांक..............(अंको में).............................(शब्दों में) समिति के नाम .. ..और जिसको कथित निविदा सूचना कमांक ते.प.(2012)– .... दिनांक .... की अनुसूची में और पूर्णतया वर्णित किया गया है, के तेंदूपत्ते के कय के लिए की गई प्रस्तावित दर इसमें इसके पश्चात् दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों पर स्वीकार की गई हैं और उसे इस कथित तेंदूपत्ते का दिनांक 31.03.2013 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए केता नियुक्त करने के लिए वह सहमत हो गया है,

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते हैः–

1. केता करारनामा की अवधि –

यह करार दिनांक................... से प्रारम्भ होगा और दिनांक 31.03.2013 तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार पूर्व में ही इसे समाप्त न कर दिया जाए ।

2. करारनामे के भाग –

इस करार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जावेगा कि वह मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 के, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के, और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय–समय पर जारी किए गए आदेशों तथा अधिसूचना के साथ ही संघ की अधिसूचना कमांक ते.प.(2012) – **.........** दिनांक .... के अधीन जारी की गई निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों के तथा इस निविदा सूचना के परिशिष्ट–I में उल्लेखित सामान्य/अन्य निबंधनों एवं शर्तों तथा निविदाकारों के लिए निर्देशों के जो सब इस करार के भाग होंगे, और इसके भाग बन गये समझे जावेंगे, और जिनका अर्थ लगाया जायेगा कि इस प्रलेख में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित है,उपबंधों के अध्यधीन है ।

3. कय दर आदि –

केता लाट कमांक.......................(अंको में).. (शब्दों में) समिति के नाम................................ जिसको कि इसके पश्चात् लाट कहा गया है, के तेंदूपत्ता को रूपये .... (अंकों में) .... (शब्दों में) प्रति मानक बोरा की दर पर, कय करेगा । लाट के कय मूल्य के अतिरिक्त केता समय–समय पर कर/उपकर भी अदा करेगा ।

4. अधिसूचित मात्रा से अधिक/कम प्रदाय –

(I) कंडिका कमांक 4(II) के अध्यधीन रहते हुए तेंदूपत्ते का विकय संग्रहण केन्द्र से हरी अवस्था के आधार पर है । इच्छुक निविदाकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे समिति क्षेत्रों जिनके लिए वे निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, का स्वयं निरीक्षण कर लें तथा तेंदूपत्ता की गुणवत्ता के बारे में अपनी संतुष्टि कर लें ।

(II) ठेका तेंदूपत्ते की अनुसूची में वर्णित मानक बोरों में अधिसूचित मात्रा के कय/ विकय के लिए होगा । परन्तु यदि किसी लाट में इस निविदा सूचना में अधिसूचित मात्रा से अधिक संख्या में मानक बोरे हैं, तब केता को उन्हें भी उस लाट के लिए स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि का भुगतान कर कय करना होगा । अधिसूचित मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है तथा केता को संशोधित मात्रा एवं इसके आधार पर की गई परिगणना को मान्य करना होगा ।

(III) ठेका तेंदूपत्ते की अनुसूची में वर्णित मानक बोरों में अधिसूचित मात्रा के कय/ विकय के लिए होगा । परन्तु यदि किसी लाट में इस निविदा सूचना में अधिसूचित मात्रा से कम संख्या में मानक बोरे हैं, तब केता को इस कम मात्रा के विकय मूल्य की राशि संबंधित जिला यूनियन की पूर्ण संतुष्टि उपरांत दिनांक **15.07.2012** के पश्चात लौटाई जा सकेगी । इस राशि पर कोई ब्याज आदि देय नही होगा । मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित है तथा केता को संशोधित मात्रा एवं इसके आधार पर की गई परिगणना को मान्य करना होगा ।

5. **संग्रहण, परिदान, उपचारण आदि की प्रकिया –**

(I) संघ एवं जिला यूनियन, प्राथमिक समिति .... जिन्हें अनुसूची में अधिक पूर्णता से वर्णित किया गया है, के अनुसूची– ब में दर्शाई गई फड़ों तथा प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निर्धारित किसी अतिरिक्त फड़ पर तेंदू पत्ता का संग्रहण/कय करेगा । संग्रहण पारिश्रमिक, संग्रहण तक का फड़ मुंशी कमीशन एवं शाखकर्तन का व्यय प्राथमिक समिति द्वारा वहन किया जावेगा ।

(II) तेंदू पत्ते का संग्रहण/कय निर्धारित फड़ों पर ही किया जावेगा । प्रबंध संचालक, जिला यूनियन यदि चाहे तो फड़ों की सूची में परिवर्तन कर सकेगे ।

(III) क्रेता द्वारा प्रत्येक संग्रहण केन्द्र (फड़) पर एक प्रतिनिधि रखा जावेगा । क्रेता ऐसे प्रतिनिधियों की सूची उनके हस्ताक्षर के प्रमाणित नमूने, पता एवं फोटो सहित दो प्रतियों में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को दिनांक 30.04.2012 तक प्रस्तुत करेगा ।

(IV) संग्रहण के उपरांत क्रेता के प्रतिनिधि को समस्त संग्रहित तेंदू पत्ता संग्रहण के 48 घंटे के भीतर हरी अवस्था में परिदान दिया जावेगा । क्रेता समिति द्वारा संग्रहित/क्रय किये गये तेंदूपत्ते को परिदान लेने से अस्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि पत्ता बीड़ी बनाने के अयोग्य नहीं है । यदि क्रेता का प्रतिनिधि बीड़ी बनाने के अयोग्य दर्शाते हुए पत्ते को अस्वीकार करना चाहता है तो उसे इस आशय का लिखित आवेदन पत्र तेंदू पत्ता संग्रहण के 48 घंटे के भीतर संबंधित समिति के नोडल अधिकारी अथवा वन मंडलाधिकारी द्वारा इस हेतु अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । इस प्रकार आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर वर्णित तेंदू पत्ते का निरीक्षण उप वन मंडलाधिकारी या वन मंडलाधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के द्वारा किया जावेगा जो प्रस्तुत तेंदू पत्ते के बीड़ी बनाने के अयोग्य होने अथवा नहीं होने के संबंध में निर्णय लेंगे । इनका यह निर्णय अंतिम एवं क्रेता पर बंधनकारी होगा । तेंदू पत्ता बीड़ी बनाने योग्य पाये जाने पर क्रेता को उसका परिदान लेना अनिवार्य होगा । यदि 48 घन्टे की अवधि मे क्रेता अथवा उसके प्रतिनिधि के द्वारा संग्रहित तेंदू पत्ते का परिदान नहीं लिया जाता है अथवा पत्ते के बीड़ी के अयोग्य होने संबंधी लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह माना जायेगा कि क्रेता के द्वारा संग्रहित पत्ते की संपूर्ण मात्रा का परिदान प्राप्त कर लिया गया है, और भविष्य मे इस संबंध में क्रेता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी ।

(V) कंडिका क्रमांक 5(IV) के अध्यधीन रहते हुऐ क्रेता के प्रतिनिधि को संग्रहण पुस्तिका के अंतर्गत विवरण के आधार पर तेंदूपत्ते की पावती लेना होगी एवं तेंदूपत्ते का परिदान लेने के तुरंत बाद उसकी रसीद निर्धारित प्ररूप में प्राथमिक समिति के प्रतिनिधि को देना होगी । संग्रहण पुस्तिका में विवरण दर्ज होने के उपरांत इस विवरण के अनुसार तेंदू पत्ता क्रेता को परिदत्त मान लिया जावेगा एवं इसके उपरांत पत्ता क्रेता के जोखिम पर संग्रहण केन्द्र पर रहेगा और आवश्यक पाये जाने पर संघ के द्वारा क्रेता के जोखिम पर ही इसका उपचारण, बोरा भराई, अन्यत्र परिवहन एवं भण्डारण आदि भी किया जा सकेगा ।

(VI) क्रेता द्वारा संग्रहण केन्द्र से संग्रहित तेंदूपत्ते का परिदान उपरोक्त रीति द्वारा 48 घन्टे के भीतर प्राप्त न करने की स्थिति में यदि यथास्थिति संघ, जिला यूनियन या प्राथमिक समिति संग्रहित तेंदूपत्ते के उपचारण, बोरा भराई एवं परिवहन आदि कार्य करते हैं, तो ऐसे कार्यों पर किए गए समस्त व्यय का भुगतान क्रेता द्वारा किया जावेगा । तेंदूपत्ते के उपचारण, बोरा भराई एवं परिवहन आदि की उक्तानुसार की गई समस्त कार्यवाही एवं व्यय की गणना के संबंध में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा एवं क्रेता को मान्य करना होगा ।

(VII) क्रेता को परिदान की जाने वाली प्रति मानक गड्डी में 50 तेंदूपत्ते होंगे ।

(VIII) परिदान लेने के उपरांत परिदत्त किये गये तेंदू पत्ते के उपचारण, बोरों में भराई एवं गोदाम तक परिवहन का कार्य क्रेता द्वारा किया जावेगा एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जावेगा । परिदान लेने के उपरांत परिदत्त किये गये तेंदूपत्ते की सुरक्षा का दायित्व क्रेता का होगा एवं ऐसे तेंदूपत्ते की किसी प्रकार की क्षति हेतु क्रेता उत्तरदायी होगा ।

(IX) सफल क्रेता को बोरे तथा सुतली की मात्रा, जो प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा स्वविवेक से निर्धारित की जावेगी, जिला यूनियन से प्राप्त करना होगा । क्रेता को जिला यूनियन द्वारा उपरोक्तानुसार प्रदाय किये गये बोरों एवं सुतली के लिये प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा सूचित दर से राशि प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के नाम से जिला यूनियन के मुख्यालय पर देय किसी भी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट /डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दिनांक 30.04.2012 तक भुगतान करना होगा । बोरा एवं सुतली के उपरोक्त दर से परिगणित मूल्य पर जो भी कर देय होंगे, क्रेता द्वारा उपरोक्त रीति से दिनांक 30.04.2012 तक भुगतान किए जावेंगे ।

(X) क्रेता द्वारा जिला यूनियन द्वारा प्रदाय किये गये बोरों पर पूर्व से अंकित मार्का बोरा भरने के पूर्व स्पष्टतः काट दिया जावेगा । यदि परिवहन के दौरान कोई ऐसा बोरा बिना मार्का काटे पाया जाता है तो वह अवैध संग्रहण एवं परिवहन मानकर जप्ती योग्य होगा । बोरों पर पूर्व से अंकित मार्का उपरोक्तानुसार काटने के उपरांत क्रेता यदि चाहे तो अपनी सुविधा के लिये बोरों पर कोई भी विवरण अंकित कर सकेगा ।

(XI) यदि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा किसी क्रेता के प्रतिनिधि को कार्य से पृथक करने हेतु निर्देशित किया जाता है तो क्रेता उसे इस करारनामें के अधीन किसी भी कार्य करने से तत्काल पृथक करेगा ।

(XII) लाट के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के सीमा विवाद के संबंध में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन का निर्णय अंतिम एवं क्रेता पर बंधनकारी होगा ।

6. **देय राशि के भुगतान तथा पत्ते के परिदान की रीति –**

(अ) **(I)** यदि क्रेता चाहे तो वह लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित कुल क्रय मूल्य एंव उस पर देय कर की राशि प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एंव विकास) सहकारी संघ के नाम से जिला यूनियन के मुख्यालय की किसी बैंक शाखा पर देय किसी अनुसूचित बैंक के बैंक/डिमांड ड्राफ्ट/RTGS (केवल संघ मुख्यालय हेतु) द्वारा भुगतान कर लाट के क्षेत्र में संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ते की समस्त मात्रा संग्रहण केंद्र से ही उसके लिये अधिनियम, नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर ले जा सकता है । इस सुविधा का लाभ लेने हेतु वह उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एंव इस आशय का एक आवेदन पत्र प्रबंध संचालक, जिला यूनियन .... के कार्यालय में दिनांक 30.04.2012 तक प्रस्तुत करेगा ।

(II) क्रेता को उप कण्डिका **(I)** के अंतर्गत संग्रहण केन्द्र से तेंदूपत्ता ले जाने की सुविधा दिये जाने की स्थिति में यदि लाट के क्षेत्र में वास्तविक संग्रहित मात्रा के आधार पर क्रय मूल्य की कोई राशि अतिरिक्त देय होती है तो क्रेता ऐसी राशि एंव उस पर देय कर दिनांक 15.06.2012 तक भुगतान करेगा ।

(III) क्रेता द्वारा उप कण्डिका (I) के अनुसार देय राशि एंव आवेदन पत्र दिनांक 30.04.2012 तक प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जावेगा कि क्रेता संग्रहण केन्द्र से तेंदूपत्ता मुक्त नहीं कराना चाहता है एंव तब उसे तेंदूपत्ते का गोदाम से ही निर्धारित रीति से परिदान दिया जावेगा ।

(ब) क्रेता को गोदाम से तेंदूपत्ता परिदान की सुविधा दिये जाने की स्थिति में उसे प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा 30.04.2012 तक आदेशित संघ/समिति/विभागीय गोदाम में तथा ऐसा गोदाम उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में प्रबंध संचालक जिला यूनियन अथवा उनके द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस उद्देश के लिये अनुमोदित अपने गोदाम में, दोहरे ताले में निम्न शर्तो पर निरापद रखने की सुविधा दी जा सकेगी । क्रेता द्वारा जिला यूनियन से आदेशित संघ/समिति/विभागीय गोदाम में भंडारण की सुविधा न लिये जाने की स्थिति में क्रेता एवं गोदाम मालिक प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के साथ संघ द्वारा निर्धारित प्ररूप में करारनामा निष्पादित करेंगे । इस कंडिका के प्रयोजन हेतु प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा दिनांक 30.04.2012 तक संघ/समिति/विभागीय गोदाम आदेशित किये जाने पर क्रेता ऐसे गोदाम/गोदामों में तेंदूपत्ता रखने हेतु बाध्य होगा । परन्तु यदि क्रेता उसे आदेशित गोदाम में तेंदू पत्ते का भंडारण करने का इच्छुक नहीं है तो वह प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा आदेशित संघ/समिति/विभागीय गोदाम की क्रेता को आवंटित भंडारण क्षमता के आधार पर 2/– रूपये प्रति वास्तविक बोरा प्रति माह की दर से 8 माह का गोदाम किराया अग्रिम में भुगतान कर इस बाध्यता से मुक्त हो सकेगा । यदि उपरोक्तानुसार छूट प्राप्त करने के उपरान्त क्रेता उक्त 8 माह की अवधि के पूर्व शर्त क्रमांक 6(ब)(1) में निर्धारित किश्तों की संपूर्ण देय राशि का भुगतान कर देता है तो उसे इस प्रकार भुगतान की अंतिम दिनांक के माह तक का ही किराये का भुगतान करना होगा । अग्रिम जमा कराई गई

अतिरिक्त राशि उसके अनुरोध पर लाट की किसी अन्य राशि के विरूद्ध समायोजित की जा सकेगी अथवा इस प्रकार देय गोदाम किराये की राशि के समायोजन के उपरांत क्रेता को लौटाई जा सकेगी ।

(1) क्रेता देय राशि अर्थात देय करों सहित पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में चार बराबर किश्तों में प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश लघु वनोपज (व्यापार एंव विकास) सहकारी संघ मर्यादित के नाम से जिला यूनियन के मुख्यालय की किसी बैंक शाखा पर देय किसी अनुसूचित बैंक के बैंक/डिमांड ड्राफ्ट /RTGS (केवल संघ मुख्यालय हेतु) द्वारा निम्न तिथियों को या उसके पूर्व करेगा ।

किश्त	किश्तों की तिथि
प्रथम	05.10.2012
द्वितीय	21.11.2012
तृतीय	05.01.2013
चतुर्थ	20.02.2013

क्रेता द्वारा किसी किश्त की देय तिथि के पूर्व उस किश्त की आंशिक राशि एवं उस पर देय समस्त कर आदि जमाकर जमा की गई राशि के अनुपात में पत्ते का परिदान प्राप्त किया जा सकेगा । परंतु ऐसी जमा की जाने वाली राशि किश्त की कुल देय राशि की एक तिहाई अथवा 500 मानक बोरा के लिये देय राशि (जो भी अधिक हो) से कम नहीं होगी । तथापि अंतिम अंश की राशि किश्त की कुल राशि की एक तिहाई अथवा 500 मानक बोरे के लिये देय राशि से कम हो सकती है ।

(2)सम्पूर्ण क्रय मूल्य के भुगतान पर रिबेट –

यदि क्रेता द्वारा प्रथम किश्त की देय दिनांक तक किसी लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित भुगतान किया जाता है तो क्रय मूल्य की राशि के 0.75% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी । यदि क्रेता इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तो वह सम्पूर्ण क्रय मूल्य की 99.25% राशि तथा सम्पूर्ण क्रय मूल्य (100%) पर समस्त देय करों की राशि का भुगतान करेगा । यदि प्रथम किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो इस उपकंडिका के प्रयोजन हेतु प्रथम किश्त की देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी । क्रेता द्वारा 30 अप्रैल तक लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य समस्त देय करों सहित जमा करने पर उसे 30 अप्रैल तक लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित राशि के 2% की राशि की छूट उपलब्ध होगी तथा यदि वास्तविक संग्रहण के आधार पर देय अतिरिक्त क्रय मूल्य की राशि बनती है तो उस राशि पर भी 2% के बराबर राशि की छूट दी जावेगी । वास्तविक संग्रहण अधिसूचित मात्रा से कम रहने की स्थिति में भी 30 अप्रैल तक जमा कराई गई लाट की अधिसूचित मात्रा के आधार पर परिगणित क्रय मूल्य की राशि के आधार पर दो प्रतिशत की राशि की छूट उपलब्ध रहेगी ।

(3) यदि क्रेता किसी किश्त की देय राशि या इस करारनामे के अंतर्गत देय अन्य कोई भी राशि का देय तिथि तक भुगतान करने में असफल रहता है, तो वह विलंबित अवधि के लिए 0.040 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज देगा । यदि किसी किश्त की देय तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो ब्याज की गणना के लिये देय तिथि आगामी कार्य दिवस मानी जावेगी ।

(4)(I) प्रबंध संचालक, जिला यूनियन द्वारा तेंदू पत्ता रखने हेतु संघ/समिति/विभागीय गोदाम अनुमोदित किये जाने पर क्रेता ऐसे गोदाम के लिये प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये रूपये 2/– प्रति वास्तविक बोरा प्रतिमाह की दर से गोदाम किराया भुगतान करेगा ।

(II) किराये की गणना प्रत्येक माह हेतु उस माह में भंडारित अधिकतम मात्रा के आधार पर की जावेगी एवं यह राशि आगामी माह की 1 तारीख को देय मानी जावेगी । किराये की प्रथम देय दिनांक 01.06.2012 (माह मई 2011 में भंडारित अधिकतम मात्रा के आधार पर) होगी ।
(III) देय दिनांक तक निर्धारित किराया भुगतान न करने पर विलंबित राशि पर उपरोक्त उप कंडिका(3) के अनुसार ब्याज देय होगा ।

(5) तेंदूपत्ता क्रेता की अभिरक्षा, देखरेख, पर्यवेक्षण तथा जोखिम पर, लेकिन प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के नियंत्रण में रखा जाएगा और इस शर्त पर कि गोदाम में संघ का ताला लगाकर अथवा किसी ऐसी अन्य प्रक्रिया, जैसी कि प्रबंध संचालक, जिला यूनियन ने आदेशित की हो, के अनुसार अभिगमन तथा नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार होगा ।

(6) क्रेता को गोदाम के अंदर रखे गये तेंदूपत्ते का बीमा समस्त कारणों से होने वाली संभावित हानि के लिये अनिवार्य रूप से कराना होगा । तेंदूपत्ते का बीमा ऐसी राशि के लिये होगा, जो किसी भी समय क्रेता के उपर बकाया देय राशि से कम नहीं होगा । यदि किसी भी कारण से तेंदूपत्ते की कोई हानि होती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी के द्वारा सीधे संघ को देय होगी और इस प्रकार का प्रावधान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन की संतुष्टि के अधीन क्रेता को बीमा पालिसी में कराना होगा । यह गोदामीकरण सुविधा की विशिष्ट शर्ते है । यदि किसी भी कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की रकम संघ को अदा नहीं करती है तो क्रेता उसके भुगतान के लिये बाध्य होगा । यदि बीमा कंपनी द्वारा किये गये भुगतान तथा देय राशि में कोई अंतर है तो यह क्रेता अदा करेगा । यदि किश्तों की निश्चित तिथि के पश्चात क्षतिपूर्ति भुगतान या उसका भाग प्राप्त होता है तो क्रेता ऐसी विलंबित राशि पर 0.040 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज अदा करेगा ।

(स) (I) क्रेता तेंदूपत्ते का कंडिका क्रमांक 6(ब) के अनुसार आदेशित/अनुमोदित गोदामों से परिदान लेगा तथा वह गोदाम के अन्दर से बोरा हटाने में आया समस्त व्यय स्वयं वहन करेगा । क्रेता को पत्तो का परिदान केवल तभी दिया जायेगा जब कि देय राशि के विलंबित भुगतान की स्थिति में ब्याज सहित, पूर्ण भुगतान उसके द्वारा कर दिया गया है ।

(II) प्रत्येक किश्त की देय राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने के पश्चात् लाट की अधिसूचित मात्रा के एक चौथाई भाग का परिदान दिया जायेगा । परिदान के समय लाट में से पत्तों की छंटाई की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा परिदान छल्ली (स्टेक) के उस एक ओर से ही दिया जावेगा जिस ओर से परिदान प्रारंभ किया गया है ।

(III) क्रेता को उसके द्वारा परिदान में ली गई सम्पूर्ण मात्रा को संघ के गोदामों के परिसरों से हटाना होगा तथा उसे छंटाई या कोई अन्य कार्य संघ के गोदाम के परिसरों में या उनके निकट के क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

(द) नीचे दी गई कंडिका (इ) के प्रावधान के अध्यधीन, क्रेता को किश्त की देय दिनांक या भुगतान की दिनांक, जो भी बाद में हो, से 45 दिनों के भीतर गोदाम से तेंदूपत्ता हटाना होगा, परन्तु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो परिदान आदेश को जिला यूनियन के प्रबंध संचालक से पुनर्जीवित कराना होगा ।

(इ) क्रेता को उसके द्वारा क्रय किये गये तेंदूपत्ते को गोदामों से केवल करार अवधि में ही हटाने का अधिकार है तथा करार अवधि समाप्त होने पर उसका तेंदूपत्तें की शेष मात्रा पर कोई अधिकार नहीं होगा तथा ऐसा तेंदूपत्ता संघ की संपत्ति बन गया माना जावेगा । तथापि यदि क्रेता ने लाट के पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान कर दिया है तथा उसका करारनामा समाप्त नही किया गया है और उसने अवधि वृद्धि शुल्क के रूप रुपये 7000/– का तथा गोदाम किराये के रूप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए रुपये 6/– प्रति वास्तविक बोरा की दर से भुगतान कर दिया है और मुख्य वन संरक्षक को तेंदूपत्ते को हटाने की अनुमति देने हेतु लिखित आवेदन दिया है, तो मुख्य वन संरक्षक ऐसी अनुमति ऐसी कालावधि के लिए दे सकेंगे जो करार

की समाप्ति की तिथि से 60 दिनों से अधिक की नहीं होगी । परन्तु उपरोक्त 60 दिवस की अवधि समाप्ति के उपरांत भी विशेष परिस्थितियों में अवधि वृद्धि शुल्क के रूप में रूपये 7000/– अतिरिक्त प्राप्त होने पर संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से तेंदूपत्ता हटाने हेतु इस पत्ते के निर्वर्तन के पूर्व अतिरिक्त अवधि दे सकेंगे । यदि क्रेता द्वारा मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में उपरोक्तानुसार 60 दिन की अनुमति हेतु अवधि वृद्धि शुल्क रूपये 7000/– जमा नहीं किया गया है एवं उसके द्वारा उपरोक्तानुसार 60 दिवस से अतिरिक्त अवधि वृद्धि हेतु अनुरोध किया जाता है तो उसे अवधि वृद्धि शुल्क के रूप में रूपये 14000/– जमा करना होगा ।

7. **बैंक गारंटी के विरूद्ध पत्ते के परिदान की सुविधा–**

(अ) निविदा सूचना की कंडिका 9 (II) के प्रावधान के अध्यधीन, यदि क्रेता बैंक गारंटी के विरूद्ध पत्ते के परिदान की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, तब वह प्रथम किश्त की नियत दिनांक के पूर्व क्रय मूल्य की 30% राशि के बराबर जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के पक्ष में किसी भी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में पत्ते का परिदान निम्न शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार किया जावेगा ।

(I) बैंक गारंटी ठेका (करार) अवधि समाप्ति के तीन माह उपरांत अर्थात् दिनांक 30.06.2013 तक वैध होगी तथा इसकी पुष्टि बैंक द्वारा कर दी गई हो । गारंटी प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में होगी ।

(II) बैंक गारंटी की पुष्टि होने के पश्चात् प्रथम किश्त से संबंधित समस्त देय कर बैंक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा कंडिका 8 के अनुसार पटाने पर उसे 1/4 भाग के पत्ते के परिदान की अनुमति दी जाऐगी । क्रेता के द्वारा कंडिका 6 के प्रावधानों के अनुसार देय कर सहित प्रथम किश्त पटाने पर उसे दूसरे 1/4 भाग का पत्ता और दे दिया जाऐगा और इसी प्रकार दूसरी किश्त पटाए जाने पर उसे 1/4 भाग का पत्ता और दे दिया जाऐगा और तदनुसार । (यदि प्रयुक्त न हो तो काट दें)

या

(ब) निविदा सूचना की कंडिका 9(II) के प्रावधान के अध्यधीन, यदि क्रेता 100 प्रतिशत बैंक गारंटी के विरूद्ध पत्ते के परिदान की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तब वह प्रथम किश्त की नियत दिनांक के पूर्व क्रय मूल्य के बराबर जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के पक्ष में किसी भी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सकता है अथवा वह प्रथम किश्त की समस्त देय राशि के भुगतान के उपरांत एवं द्वितीय किश्त की नियत दिनांक के पूर्व अवशेष क्रय मूल्य के बराबर जिला यूनियन के प्रबंध संचालक के पक्ष में किसी भी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सकता है । ऐसी स्थिति में पत्ते का परिदान निम्न शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार किया जावेगा ।

(I) बैंक गारंटी करार अवधि समाप्ति के तीन माह उपरांत तक अर्थात् दिनांक 30.06.2013 तक वैध होगी, जिसकी पुष्टि संबंधित बैंक द्वारा कर दी गई हो । बैंक गारंटी प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में होगी ।

(II) बैंक गारंटी की पुष्टि होने के पश्चात् क्रय मूल्य/अवशेष क्रय मूल्य से संबंधित देय समस्त कर बैंक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा पटाने पर तेंदूपत्ते के परिदान की अनुमति दी जायेगी । क्रेता के द्वारा कंडिका 6 के प्रावधानों के अनुसार देय किश्तों की राशि का भुगतान किया जावेगा ।

(स)(I) क्रेता के द्वारा किसी भी किश्त की रकम समय पर न पटाने पर उसके द्वारा दी गई बैंक गारंटी का नगदीकरण कर लिया जाएगा तथा राशि बैंक से प्राप्त होने तक कंडिका 6(ब)(3) में निर्धारित ब्याज दर से ब्याज भी नगदीकृत राशि से वसूल किया जाऐगा ।

(II) बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से क्रेता, संघ को वह देय राशि जिस हेतु बैंक गारंटी दी गई है, के भुगतान किये जाने के उत्तरदायित्व अथवा बाध्यता से मुक्त नहीं होगा। संघ के बैंक गारंटी के

नगदीकरण के अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना संघ को समस्त देय राशि के भुगतान का पूर्ण उत्तरदायित्व केता का है।

(III) यदि संघ उसको देय किसी भी राशि को बैंक गारंटी के किसी भी कारण से नगदीकरण न होने की वजह से वसूल नहीं कर पाता है तो ऐसी देय राशि केता के द्वारा भुगतान योग्य होगी और उसके द्वारा ऐसा भुगतान न करने पर ऐसी राशि संघ के बैंक गारंटी के नगदीकरण के अधिकार पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव डाले बिना भू–राजस्व की बकाया के बतौर वसूली योग्य होगी और ऐसी राशि केता की अन्य ऐसी राशि जो कि संघ के पास इस करारनामों के प्रावधानों के अंर्तगत उपलब्ध हो या संघ एवं केता के बीच अन्य किसी प्रचलित करारनामे अथवा भविष्य में निष्पादित किए जाने वाले करारनामे के अंर्तगत संघ के पास उपलब्ध हो, से भी वसूली योग्य होगी ।

(IV) इस करारनामे के अन्तर्गत दी गई बैंक गारंटी का यदि नगदीकरण किसी भी कारण से नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप संघ को देय राशि प्राप्त नहीं होती है, तो इसे इस करारनामे का विशिष्ट उल्लंघन माना जाएगा, जिसके कारण यह करारनामा समाप्त किया जा सकेगा और केता को 5 वर्ष की कालावधि तक के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा एवं केता करारनामे की कंडिका 14 के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

(V) इस कंडिका के प्रयोजन हेतु बैंक गारंटी निविदा सूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट (V) में दिए गए प्ररूप में प्रस्तुत की जाऐगी ।

8. **करों का भुगतान –**

(I) इस करार के अधीन संघ को देय कोई भी किश्त अथवा राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त करों का भी भुगतान न कर दिया जाए ।

(II) केता मध्यप्रदेश विकय कर अधिनियम, उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार विकय कर/वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धित कर तथा वन विकास उपकर एवं अन्य करों का भुगतान बैंक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ के पक्ष में जिला यूनियन के मुख्यालय पर करेगा ।

(III)केता, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दे दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के पक्ष में, उनके मुख्यालय पर देय, किसी भी अनुसूचित बैंक के पृथक बैंक ड्राफ्ट /डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करेगा। यथा स्थिति संघ को देय तेन्दूपत्ते के कय मूल्य या उसके भाग का तब तक भुगतान नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया हो ।

(IV) केता के द्वारा संघ के गोदामों पर देय किराये की राशि पर देय सेवा शुल्क का भी भुगतान किया जावेगा ।

9. **विकय प्रमाण पत्र जारी करना–**

संघ या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या वन मंडलाधिकारी केता को तेंदूपत्तों के परिदान के पश्चात् मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1966 के अंर्तगत प्रावधानित प्ररूप "ठ" में उसका विकय प्रमाण– पत्र प्रदान करेगा ।

10. करारनामे का अनुपालन–

यदि पूर्वोक्त एवं निविदा सूचना में विनिर्दिष्ट परिदान तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन/परिपालन नहीं किया जाता है, तो पत्तों को परिदत्त तथा क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा ।

11. प्रतिभूति निक्षेप–

¼I½ क्रेता अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस करार के संदर्भ में लागू होते हों, उसके द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा तथा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किए जाने के लिए मुख्य वन संरक्षक के पक्ष में उसके द्वारा निविदा सूचना के प्रावधानों के अनुसार रूपये................................. की राशि जो कि प्रतिभूति के रूप में नियमानुसार निक्षेपित की गई है, इसमें से रूपये...........की राशि बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में एंव रूपये...................................... की राशि निम्नानुसार Post dated Cheques (धनादेश) के रूप में जमा की गई है ।

अ.क.	धनादेश (चेक) क्रमांक/दिनांक	बैंक का नाम एवं शाखा	वैधता दिनांक	राशि

¼II) यह प्रतिभूति निक्षेप, यथास्थिति या तो पूर्णतः या आंशिक रूप में वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिनियम, नियमावली, करारनामा तथा इन शर्तों के उपबंधो के अधीन क्रेता से वसूली योग्य किसी रकम, क्रय मूल्य सहित, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जा सकता है और समस्त ऐसी कटौतियों की पूर्ति क्रेता द्वारा इस आशय की सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जावेगी ।

¼III) यदि क्रेता से वसूल की जाने वाली बकाया राशि प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक हो, तो अधिक होने वाली रकम, जब तक कि उसकी पूर्ति वन मण्डलाधिकारी को उस आशय की सूचना जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाये, भू–राजस्व के बकाया की बतौर वसूली के योग्य होगी ।

¼IV½प्रतिभूति निक्षेप या इसमें से अवशेष राशि (धनादेश (चेक) को छोड़कर), जैसी भी स्थिति हो, प्रबंध संचालक जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती, के पश्चात् उस सीमा तक अंतिम किश्त के विरूद्ध समायोजित की जावेगी जिस सीमा तक समायोजन के उपरांत Post dated Cheques (धनादेश) के रूप में जमा प्रतिभूति की राशि, यदि कोई हो, सहित कुल अवशेष प्रतिभूति निक्षेप की राशि 15% से कम न हो । संग्रहण केन्द्र से परिदान लेने की स्थिति में भी उपरोक्तानुसार राशि रोकते हुये प्रतिभूति निक्षेप में से अवशेष राशि क्रेता के विरूद्ध वास्तविक संग्रहण के आधार पर देय राशि, यदि कोई हो, के विरूद्ध समायोजित की जावेगी । लाट की अधिसूचित मात्रा से अधिक समस्त संग्रहित की गई मात्रा का परिदान क्रेता द्वारा लेना होगा । उक्त अधिक मात्रा हेतु देय राशि, लाट के विक्रय मूल्य के आधार पर उसे भुगतान करना होगा । लाट का अंतिम परिवहन अनुज्ञा पत्र उसके द्वारा उक्त राशि भुगतान करने पर ही जारी किया जावेगा ।

¼V½ उपरोक्त उप कंडिका (IV) में दर्शाए समायोजन के उपरांत अवशेष प्रतिभूति निक्षेप की शेष राशि प्रबंध संचालक जिला यूनियन की संतुष्टि कि क्रेता के द्वारा क्रेता करारनामें के समस्त निबंधनों एवं शर्तों, अधिनियम, नियमावली तथा निविदा सूचना की शर्तों का पालन किया गया है और कोई भी राशि उसके विरूद्ध शेष नहीं निकलती, के पश्चात् क्रेता को वापस लौटा दी

जावेगी । ऐसी राशि की वापसी क्रेता द्वारा तेंदूपत्ते की सम्पूर्ण मात्रा का परिदान प्राप्त करने के उपरांत ही की जाऐगी ।

¼VI½ इस कंडिका के प्रयोजन हेतु Post dated Cheques (धनादेश) क्रेता द्वारा प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के पक्ष में जारी किया जावेगा ।

12. अधिनियम का उल्लंघन आदि –

क्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि वह स्वतः एवं उसके प्राधिकृत/नियोजित किए गए प्रतिनिधि म.प्र. में प्रचलित सभी अधिनियमों एवं नियमावली का पालन करेगें । क्रेता अथवा उसके नियोजित व्यक्ति द्वारा इन अधिनियमों/नियमावलियों के उल्लंघन किए जाने की अवस्था में सम्बंधित अधिनियमों/नियमावलियों के अंतर्गत की जाने वाली दण्डनीय कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबंध संचालक, संघ क्रेता का करारनामा समाप्त किए जाने की कार्यवाही भी कर सकेंगे ।

13. शास्तियां–

यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करें और यदि ऐसे भंग के कारण करार को समाप्त करना प्रस्तावित न हो तो जिला यूनियन के प्रबंध संचालक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो रूपये 1000/– (एक हजार) से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा । यदि शास्ति की राशि रूपये 500/– (पांच सौ) से अधिक हो, तो इस आदेश के विरूद्ध आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर अपील मुख्य वन संरक्षक को की जा सकेगी, जिसका विनिश्चय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

14. क्रेता के करारनामे की समाप्ति–

(I) यदि क्रेता उप–कंडिका 6(अ)(II) के अनुसार देय राशि 15.07.2012 के पूर्व अथवा गोदाम से परिदान लेने की स्थिति में प्रथम दो किश्तें तृतीय किश्त की देय तिथि के पूर्व या तृतीय किश्त चतुर्थ किश्त की देय तिथि के पूर्व या अंतिम किश्त उसकी देय तिथि के 15 दिन के अन्दर या अन्य कोई देय राशि अदा नहीं करता है या इस प्रलेख के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अधिकार तथा उपचारों पर जो मुख्य वन संरक्षक को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुख्य वन संरक्षक अपने विवेक पर इस करार को क्रेता को 15 दिन का नोटिस देकर एवं उसे सुनवाई का अवसर देकर समाप्त कर सकेगा और क्रेता का नाम पॉंच वर्ष तक की कालावधि के लिये काली सूची में दर्ज कर सकेगा ।

(II)करार की समाप्ति का आदेश क्रेता को व्यक्तिशः परिदत्त किया जावेगा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जावेगा। करार की समाप्ति करार के समाप्त करने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगी ।

(III) करार की समाप्ति पर संघ, निम्नलिखित के लिए हकदार होगा :–

(अ) संपूर्ण प्रतिभूति निक्षेप की राशि को अधिहरित करने ।

(ब) गोदाम में रखे तेंदूपत्ते के स्कंध, जिसका भुगतान कर दिया गया है परन्तु परिदान नहीं लिया गया हो को संघ के पक्ष में अधिहरित करने ।

(स)(एक) गोदाम में रखे तेंदूपत्ते का, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते के उस स्कंध का जो संघ के पक्ष में शर्त क्रमांक 14(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है का विक्रय करने और हानि की वसूली करने, ऐसी हानि क्रेता द्वारा कंडिका 7 के अंतर्गत प्रस्तुत बैंक गारंटी यदि प्रस्तुत किया गया हो, के नगदीकरण तथा साथ ही गोदाम में

रखे तेंदूपत्ते, जिसके लिये देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा गोदाम में रखे तेंदूपत्ते, जो संघ के पक्ष में शर्त कमांक 14(III)(ब) के अधीन अधिहरित किया गया है, के विक्रय से भी वसूली योग्य होगी । यदि लाट का पुनः विक्रय करारनामा समाप्ति के आदेश के उपरांत प्रथम निविदा/नीलाम में नहीं हो पाता है तो लाट का विक्रय मूल्य शून्य मानकर केता से हानि वसूली की कार्यवाही की जावेगी । यदि पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम में लाट का पुनर्विक्रय हो जाता है तो प्राप्त क्रय मूल्य का समायोजन हानि की राशि में किया जावेगा। यदि हानि की वसूली हो चुकी हो तो ऐसी दशा में प्राप्त क्रय मूल्य केता को भुगतान कर दिया जावेगा परन्तु ऐसी राशि पर केता को कोई ब्याज देय नहीं होगा । करारनामा समाप्त होने की दशा में प्रथम केता से हानि की वसूली हेतु गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

संबंधित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियां ।

(दो) इसके पश्चात् भी कोई हानि की वसूली शेष हो तो, ऐसी शेष हानि की राशि को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने,

(तीन) यदि ऐसे पुनः विक्रय पर लाट/लाटों (जो प्रयुक्त न हो उसे काट दे) के लिये देय राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है तो, संघ पूर्ण राशि प्रतिधारित करने का हकदार होगा और केता का उस पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

(द) हानि की वसूली के लिये किये गये समस्त खर्चे एवं व्यय वसूल करने,

(ई) अधिरोपित की गई समस्त शास्तियां तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति, जिसका भुगतान नहीं हुआ हो वसूल करने,

(IV)(अ)यदि करारनामा समाप्ति के उपरांत एवं पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व बकायादार केता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रूपये 7000/– प्रति लाट की दर से पुनर्जीवन शुल्क आदि विशेष रूप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान प्रबंध संचालक जिला यूनियन के कार्यालय में कर दिया जाता है तो संघ के प्रबंध संचालक अपने स्वविवेक से उक्त करार को पुनर्जीवित कर सकेंगे और करार अवधि को आवश्यक होने पर बढ़ा सकेंगे तथा उपरोक्तानुसार समस्त देय राशि एवं पुनर्जीवन शुल्क के पूर्ण भुगतान के उपरांत ही तेंदूपत्ते के अपरिदत्त स्टाक का उसे परिदान कर दिया जाएगा । केता को परिदान प्राप्त करने से पूर्व कंडिका–6(इ) में दर्शाये अनुसार गोदाम किराये का भुगतान, यदि पुनर्जीवित करार की अवधि करार अवधि की समाप्ति की मूल तिथि के आगे तक बढ़ती है तो, अग्रिम में करना होगा ।

(ब) यदि केता शर्त कमांक 14(IV)(अ) में वर्णित सुविधा नहीं लेना चाहता है एवं लाट के अवशेष क्रय मूल्य के भुगतान की किश्तवार सुविधा प्राप्त करना चाहता है तो केता के आवेदन पर संघ के प्रबंध संचालक, यदि चाहें तो, स्वविवेक से केता को किश्तवार भुगतान की सुविधा दे सकेंगे एवं उक्त करार को पुनर्जीवित कर सकेंगे, परन्तु इस स्थिति में केता को देय किश्त की तिथि से विलम्बित अवधि के लिये देय राशि समस्त देय कर, उपकर तथा अधिरोपित शास्तियों की राशि, पर 0.050% प्रतिदिन की दर से ब्याज एवं रूपये 7000/– प्रति लाट की दर से पुर्नजीवन शुल्क देना होगा । पुनरीक्षित किश्तों की तिथियां तथा परिदान अवधि प्रबंध संचालक, संघ स्वविवेक से निर्धारित कर सकेंगे ।

(V) जब भी करार को पुनजीर्वित किया जाता है तो समाप्ति के कारण अधिहरित प्रतिभूति निक्षेप स्वतः प्रत्यावर्तित हो जावेगी ।

(VI) तथापि यदि क्रेता का करारनामा समाप्त नहीं किया गया है एवं करार अवधि समाप्त हो चुकी है तो पत्तों की पुनः विक्रय की कार्यवाही के पूर्व क्रेता द्वारा संघ को देय समस्त धनराशि जिसमें देय राशि, ब्याज, समस्त देयकर एवं उपकर, अधिरोपित शास्तियां तथा रूपये 7000/– प्रति लाट की दर से अवधि वृद्धि शुल्क तथा गोदाम किराये के रुप में करार अवधि समाप्त होने से प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये रूपये 6/– प्रति वास्तविक बोरा की दर से राशि आदि विशेष रुप से सम्मिलित होंगे, का पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है, तो संघ के प्रबंध संचालक स्वविवेक से तेंदूपत्ता हटाने की अनुमति क्रेता द्वारा लिखित में आवेदन पत्र देने पर दे सकेंगे ।

15. लेखाओं का रख रखाव –

क्रेता ऐसे प्रपत्रों में ऐसे लेखा रखेगा, तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियां ऐसी तिथियों को या उनके पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसा जिला यूनियन के प्रबंध संचालक द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जाए ।

16. क्रेता के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन –

क्रेता ऐसे समस्त कार्यों एवं कर्तव्यों, जो उसके द्वारा किये गये जाने के लिए अपेक्षित है, का निर्वहन करेगा और अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन निषिद्ध ऐसे कार्य जहां तक ये इस करार के संदर्भ में असंगत न हो, स्वयं के या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा किये जाने से प्रविरत रहेगा ।

17. तेंदूपत्ता का परिवहन और अनुज्ञापत्र जारी करना–

क्रेता तेंदूपत्तों का परिवहन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन अनुज्ञा पत्र के बिना जैसा कि अधिनियम और नियमावली में अनुध्यात है, नहीं करेगा ।

18. स्टाम्प शुल्क का भुगतान–

मध्यप्रदेश राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर क्रेता पालन करेगा ।

19. प्रथम प्रभार–

(एक) यथास्थिति क्रय मूल्य या उनकी अतिशेष ऐसी समस्त रकम, जो निविदा सूचना के निबंधनों तथा शर्तों तथा इस करार के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम और नियमों के अधीन देय है, क्रेता द्वारा तेंदूपत्ता के लिए गये परिदान पर प्रथम प्रभार होगी ।

(दो) क्रेता तेंदूपत्तों का निर्यात या बीड़ी बनाने के लिए उनका उपयोग या किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन तब तक नहीं करेगा, जब तक कि यह प्रभार पूर्णतः उन्मोचित न कर दिया जाये ।

20. न्यायालय की अधिकारिता–

इस करार के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद, मध्यप्रदेश न्यायालयों की अधिकारिता के अध्यधीन होगा ।

जिसके साक्ष्य में, इसमें ऊपर लिखित दिनांक तथा सन् को मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और ऊपर नामित क्रेता (क्रेताओं) ने अपने/उनके अपने–अपने हस्ताक्षर किये हैं ।

करारनामा पर निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किये गये, सील लगाई गई और परिदत्त किया गया ।

साक्षीगणः–

1. ....
(हस्ताक्षर) मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा उनकी ओर से
नाम एवं डाक का पूरा पता

2. ....
(हस्ताक्षर) मुख्य वन संरक्षक एवं संघ के पदेन महाप्रबंधक
नाम एवं डाक का पूरा पता ....वृत्त

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में ऊपर नामित क्रेता द्वारा हस्ताक्षर किये गयेः–

साक्षीगणः–

1. ....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता क्रेता/क्रेताओं के हस्ताक्षर
नाम–...

2. ....
(हस्ताक्षर) डाक का पता–...
नाम एवं डाक का पूरा पता

ANNEXURE – V
(Annexure to Tender Notice No. T.P. (2012)-I dated 28/10/2010)
Form of Bank guarantee to be submitted against 30% of the purchase price
DEED OF BANK GUARANTEE
(Condition 9 of Tender Notice)

In consideration of the Madhya Pradesh State Minor Forest Produce (Trade & Development) Co-operative Federation Limited, Sports Complex, Indira Nikunj, 74 Bungalows, Bhopal (hereinafter called the 'Federation', which expression shall, where the context so admits, include its successors in office), having agreed to exempt Messers/Shri.................................. ……………………………………………………… S/o ……………………….………………….. of Village ……………………………… Police Station …………………….….. Post ………………… District of ……………….. State……………….…………………….. (hereinafter called the 'Purchaser or Kreta',which expression shall, where the context so admits, include his heirs, executors, administrators and representatives) from immediate full payment of purchase price for Tendu leaves Lot(s) purchased by him to the extent of Rs ……………………………. (Rupees ……………………………… only) in cash (hereinafter called the said amount) and accept in lieu thereof Bank Guarantee from the purchaser under the terms and conditions contained in the Tender Notice No. T.P.(2012) …… Dated ……………… (hereinafter called the Tender Notice) and the Terms and Conditions of Tender and Instructions for Tenderers contained in Annexure-I of Tender Notice and the Purchaser's Agreement dated ……………… executed in accordance with condition 7 of the Tender Notice (hereinafter called Purchaser's Agreement) for payment of the purchase price by him in instalments in accordance with and for fulfilment of the terms and conditions contained in the said Tender Notice and the said Purchaser's Agreement.

We …………………………………… (hereinafter referred to as Bank which expression
(indicate the name of Bank)
shall, where the context so admits, include their successors and assignees), at the request of the said purchaser do hereby undertake to pay to the Managing Director, District Forest Produce Co-operative Union Ltd. and Divisional Forest Officer ……………………………….. Division (hereinafter called Managing Director, Union) an amount not exceeding Rs. (in figures) …………………… Rs. (in words) ……………………………………………………………… . only against the purchase price of lot(s) purchased by the purchaser and any loss or damage caused to or suffered or, would be caused to or suffered by the Federation by reason of any breach by the said purchaser of any of the terms and conditions contained in the said Tender Notice, Purchaser's Agreement or by reason of purchaser's failure to perform the said Purchaser's Agreement or non observance of any condition of tender notice.

2. We ………………………………….. do hereby undertake to pay the amounts due and
(indicate the name of Bank)
payable under this guarantee without any demur and merely on a demand from the Managing Director, District Union stating that the amount claimed is due by way of purchase price of the lot(s) purchased by the purchaser and /or loss or damage caused to or would be caused to or suffered by the Federation by reason of breach by the said purchaser of any of the terms or conditions contained in the said Tender Notice/Purchaser's Agreement or by reason of purchaser's failure to perform the said Purchaser's Agreement or non observance of any conditions of Tender Notice. Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards the amount due and shall be payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. (in figures) …………………. Rs. (in words)……………………..…………. only.

3. We …………………………………… undertake to pay to the Managing Director any
(indicate the name of Bank)
money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the the purchaser in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal relating thereto, our liability under this present guarantee being absolute and unequivocal. The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment thereunder and the purchaser shall have no claim against us for making such payment.

4. We ……………………………………… further agree that the Guarantee herein
(indicate the name of Bank)
contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Purchase's Agreement and observance of terms and conditions of Tender Notice and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Federation under or by virtue of the conditions of the said Tender Notice/Purchaser's Agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the Managing Director certifies that the terms and conditions of the said Tender Notice/Purchaser's Agreement executed by the said purchaser in favour of the Chief Conservator of Forests …………………………………………… circle have been fully and properly carried out by the Purchaser and accordingly discharges this guarantee. Unless demand or claim under this guarantee is made on us in writing on or before ……………(date)……………………….. (month) …………………………. (year), we shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

5. We ………………………………………………..… further agree with the Federation/
(indicate the name of Bank)
Chief Conservator of Forests ……………………………………….. circle/Managing Director................................ Union that the Federation/Chief Conservator of Forests …………………………………… circle/Managing Director, Union shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligation hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Tender Notice/Purchase's Agreement executed by the purchaser or to extend time for performance by the said purchaser from time to time or to postpone for any time or from time to time exercise of any power exercisable by the Federation/Chief Conservator of Forests.. Circle/Managing Director Union against the said purchaser and to forebear to enforce any of the terms and conditions relating to the said Tender Notice/Purchaser's Agreement, and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said purchaser or for any forbearance act or omission on the part of the Federation/Chief Conservator of Forest ……………………………………………….. Circle/Managing Director, Union or any indulgence shown by the Federation/Chief Conservator of Forests ………………………………. Circle/ Managing Director, Union to the said purchaser of any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.

6. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the said purchaser.

7. We, ……………………………………………………… lastly undertake not to revoke
(indicate the name of Bank)
this guarantee during its currency except with the previous consent of the Federation/Chief Conservator of Forest ………………………… Circle/Managing Director, Union in writing.
Dated the ……………. Day of……………………………. (month) ………………….(Year)

Seal of the Bank

(Signature of the Authority
Issuing Bank Guarantee)
(Indicate the name of Bank)
Name
……………………………….
Designation
………………………..
(Seal of Bank)

N.B.: Simultaneously with the issuing of this Bank gurantee the Bank has sent separately vide Register A.D. letter No. ……………………………….. dated …………………………. intimation to the Managing Director, District Forest Produce Co-operatve Union Ltd. And Division forest officer …………………………… Division in the form prescribed (sample form enclosed with tender notice) by the Federation that this Bank Gurantee be treated as genuine, for the purpose of the purchaser's agreement

(Signature of the Authority
Issuing Bank Guarantee)
(Indicate the name of Bank)
Name
……………………………….
Designation
………………………..
(Seal of Bank)

REGISTERED A.D.

Sample form enclosed with Annexure-V of Tender Notice

Office of the Branch Manager
……………………………….. Branch
……………………..…………..Bank
………………………………..(Floor)
………………………………...(Place)
………………………………...(District)
………………………………...(State)

To,

The Managing Director
District Forest Co-operative Union Ltd. ……………………………….. and
Divisional Forest Officer,
……………………………….. Division
……………………………….. M.P.

Sub:- Issue of Bank guarantee in your favour on account of

M/S/Shri ……………………………..…….……….…. S/o ……………………………………… of (Village) ………………… (Police Station) …………………………….. (Post office) ……………………… (District) ………………………………. (State) ………………………………… for Rs…………………….. (Rupees …………………………………………………………………… only).

Dear Sir,

I beg to inform you that a Bank Guarantee bearing No ………………………….. dated …………….... for Rs. …………………… (Rupees ……………………………………… only), has been issued by this Bank, in your favour on account of M/s/Shri ………………………………...…………….. Son of ……………………………………… of ………………………….. (village) ……………………………….. (Police Station) …………….…….. (Post Office)………………………(District) …………………………of ……………………………….. (State) ……………………………….……………………. for the purpose of guaranteeing the payment of purchase price of Tendu leaves lot(s) purchased by the said M/s/Shri ………………………………………

2. The aforesaid Bank Guarantee has been issued as required under the terms and conditions of the Tender Notice issued vide Notification No. …………………………………… dated ……………………….. by the M.P. State Minor Forest Produce (Trading & Development) Co-operative Federation and the Purchaser's Agreement dated ……………………………. executed in accordance with condition No. 7 of the Tender Notice and shall be valid upto ……………………… (date) ……………………………….. (month) ………………………………………….. (year).

3. The Bank Guarantee has been drawn in the proforma prescribed by the Federation in the said tender notice and bears the official seal of the Bank. It has been signed by the issuing authority of the Bank.

Thanking you,

Yours faithfully

Dated: (Signature of Branch Manager)

(Seal of Bank)

1. **जिलों में सम्पर्क के लिये :–** प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्या.

2. **संघ मुख्यालय में सम्पर्क के लिये :– दूरभाष– PBX 0755-2674349**

(कार्यालय फैक्स नं. 0755 – 2552628)

E-mail : mdmfpfed@sancharnet.in
Website : www.mfpfederation.com

नाम	पद	दूरभाष क्रमांक	
		कार्यालय	निवास
मा. श्री विश्वास सारंग	अध्यक्ष	2555513	2764577
डॉ पी.के. शुक्ला	प्रबंध संचालक	2674202	2674207
श्री एल.आर. बुरडक	अपर प्रबंध संचालक (व्या.)	2674208	2430107
श्री रवि श्रीवास्तव	अपर प्रबंध संचालक (विकास)	2674244	2674321
श्री सुधीर पंवार	कार्यकारी संचालक (व्या.)	2674304	4057838
श्री एम.के.सिन्हा	कार्यकारी संचालक (प्रशा.)	2552494	2418662
श्री वाय. सत्यम	कार्यकारी संचालक (विकास)	2426208	2429842
श्री आर.आर. ओखंडियार	मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रसंस्करण केन्द्र(बरखेड़ा पठानी)	2417670	2430090
श्री अनिल शर्मा	सचिव	2553392	2550696
श्रीमती अर्चना शुक्ला	महाप्रबंधक (प्रशासन)	2760184	9425192521
श्रीमती ललिता एस. कुमार	प्रबंधक (वित्त)	2674306	2674348
श्रीमती अरुणा दुबे	प्रबंधक (लेखा)	2674353	2551204
श्री जी.पी. व्यास	अधीक्षक (व्यापार)	2674349	2492517